डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021/2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 03.07.2023 से 09.07.2023 ▶ वर्ष-40 ▶ अंक-27 ▶ मूल्य ₹ 10.00

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इनमें से तीन वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्रेन में यात्रा कर रहे बच्चों के साथ संवाद भी किया। बच्चों ने अपने प्रिय प्रधानमंत्री से खुलकर बातचीत की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भोपाल में स्वागत करते हुये राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल आए। राजा भोज विमानतल पर उतरने के बाद श्री मोदी सड़क मार्ग से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर प्रधानमंत्री का राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय कृषि और किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार, सांसद श्री वी.डी. शर्मा, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग सहित अन्य मंत्रीगण एवं जन-प्रतिनिधियों ने स्वागत किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेलवे स्टेशन पर उपस्थित जन-समुदाय का अभिवादन किया। जन-समुदाय ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने आरंभ होने वाली वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के लिए बैठे स्कूली बच्चों से भेंट कर भारत की प्रगति और उपलब्धियों, भविष्य के लक्ष्य के बारे में बात-चीत की। स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री को आजादी के अमृत महोत्सव, विश्व में बनती भारत की प्रभावपूर्ण स्थिति पर केन्द्रित पेंटिंग्स तथा प्रधानमंत्री का हस्त निर्मित चित्र भेंट किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिन पांच वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई वे हैं; भोपाल (रानी कमलापति)- इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस; भोपाल (रानी कमलापति)-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस; रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस; धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और गोवा (मडगांव)-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। इनमें से अंतिम तीन को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

भोपाल (रानी कमलापति)- इंदौर, वंदे भारत एक्सप्रेस मध्यप्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी तथा क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी। वंदे भारत ट्रेन से भोपाल से इंदौर की 269 किलोमीटर की दूरी अब साढ़े तीन घंटे में तय हो जाएगी। भोपाल (रानी कमलापति)-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल क्षेत्र (जबलपुर) को मध्यप्रदेश के मध्य क्षेत्र (भोपाल) से जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को भी लाभ होगा। इस ट्रेन के चलने से भोपाल से जबलपुर की 340 किलोमीटर की दूरी अब साढ़े चार घंटे में ही तय हो जाएगी।

रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। पटना और रांची के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली यह रेलगाड़ी पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी। धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक-धारवाड़ और हुबली में महत्वपूर्ण शहरों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी। इससे क्षेत्र के पर्यटकों, छात्रों, उद्योगपतियों आदि को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। गोवा (मडगांव)-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

वंदे भारत ट्रेनों के लिए प्रधानमंत्री का आभार - मुख्यमंत्री

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश को प्रदान की गई दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका आभार माना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि - 'भोपाल-जबलपुर और भोपाल-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ करना, मध्यप्रदेश के विकास का एक और सोपान है। देश की विकास यात्रा में पूरा भारत प्रधानमंत्री श्री मोदी का सहयात्री है। वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के सपनों को नई गति देगी।'

मध्यप्रदेश

जल-संरक्षण और प्रबंधन में देश में प्रथम

भोपाल, देश में जल-संरक्षण और प्रबंधन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है, यह बड़ी उपलब्धि है। मध्यप्रदेश कई क्षेत्रों में देश में प्रथम है, स्वच्छता में हम कुछ वर्षों से अग्रणी हैं। यह हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़ी है, हम पानी की एक-एक बूंद का उपयोग करने के लिए कैनाल इरीगेशन के स्थान पर प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, इससे उपलब्ध पानी से पौने 2 गुना अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव हो रही है। साथ ही प्रदेश में जल- संरचनाओं का जाल बिछाया गया है। इन कार्यों के लिए ही भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया है।

इस उपलब्धि के लिए जल संसाधन पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग बधाई के पात्र हैं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहीं। मुख्यमंत्री को जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय से प्राप्त चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2022 का प्रशस्ति-पत्र और प्रतीक-चिन्ह भेंट किया।

माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं से हो रही है पानी की बचत

जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में जब से सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण माइक्रो सिंचाई योजनाओं के रूप में किया जाने लगा है, तब से मध्यप्रदेश में पानी की अधिक बचत हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जल-संरक्षण/प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मानित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री शहरी भू-अधिकार योजना में दिये जायेंगे 35 हजार नवीन पट्टे

भोपाल, मुख्यमंत्री शहरी भू-अधिकार योजना में नवीन पट्टे और दीनदयाल रसोई योजना में 5 रूपये में भोजन की थाली देने के कार्यक्रम का शुभारंभ 10 जुलाई को संभावित है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका शुभारंभ किया जायेगा। दीनदयाल रसोई योजना में 166 शहरों में बनी स्थाई रसोई में 10 जुलाई से और 25 चलित दीनदयाल रसोई में 15 अगस्त से भोजन की थाली दी जायेगी। योजना में 35 हजार से अधिक नवीन पट्टे पात्र हितग्राहियों को दिये जायेंगे।

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

मध्यप्रदेश में रोज़गार सहायकों को मिलेगा 18 हजार रुपये मानदेय

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित रोज़गार सहायकों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश में कार्य कर रहे रोज़गार सहायकों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रोज़गार सहायकों को मानदेय में वृद्धि सहित विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलेगा। रोज़गार सेवकों का मानदेय नौ हजार रुपये मासिक के स्थान पर अठ्ठारह हजार रुपये देने की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रोज़गार सहायकों की विशेष भूमिका है। कोरोना काल में भी आम जनता और अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को राहत देने में रोज़गार सहायकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। एक समय मनरेगा से संबंधित कार्य के लिए दायित्व निभाने वाले रोज़गार सहायकों ने मनरेगा के क्रियान्वयन को व्यवस्थित करने के बाद राशन कार्ड बनवाने, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड बनवाने, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम और लाड़ली बहना योजना से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक किया है। रोज़गार सहायकों ने कम्प्यूटर सीखा और उसे चलाने में भी दक्ष बने। अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में कम्प्यूटर, लैपटॉप की सहायता लेनी होती है, फिजिकल का डिजिटल से मेल करवाने का कार्य रोज़गार सहायकों ने किया है। श्री चौहान ने कहा कि जिंदगी से अनिश्चितता खत्म करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह रामेश्वरम से लंका तक सेतु बंध बनाए गए थे आज रोज़गार सहायक भी नल और नील जैसी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

नवनियुक्त युवा सच्चे कर्म योगी बनें - मुख्यमंत्री

भोपाल, देश और प्रदेश अपनी माँ है। शासकीय सेवा में नवनियुक्त युवा बेहतर कार्य कर माँ के प्रति कर्त्तव्य को पूरा करने में पूरा योगदान दें। योग्यता, कर्मठता, ईमानदारी और पारदर्शिता से आपका शासकीय सेवा में चयन हुआ है। आप टीम मध्यप्रदेश का हिस्सा बन गये हैं। आपका टीम मध्यप्रदेश में स्वागत है। मैंने एक लाख शासकीय नौकरी देने की घोषणा की थी, अब तक 55 हजार भर्तियां की जा चुकी हैं। 15 अगस्त से पहले एक लाख भर्तियां पूरी हो जाएंगी। इसके बाद अगले 50 हजार पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया चालू की जायेगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय समत्व भवन में शासकीय सेवा में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहीं।

ऊर्जा, लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 2000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये।

आप जनता के सेवक बनकर कार्य करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप और हम सब जनता के सेवक हैं। प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधायें देने के लिए, सेवक बनकर कार्य करें। नौकरी को सिर्फ रोजगार नहीं समझें, यह जनता की सेवा की गारंटी है। शासकीय सेवा में आना दुर्लभ अवसर है। इसका बेहतर से बेहतर उपयोग करें।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

24 जून

विमान से आपातकालीन निकासी के दौरान 11 यात्री घायल

● हॉन्गकॉन्ग के कैथे पैसिफिक विमान CX880 को तकनीकी समस्या के चलते उड़ान भरने से पहले रोक दिया गया। इस

दौरान आपातकालीन निकासी के दौरान 11 यात्री घायल हो गए। हॉन्गकॉन्ग से लॉस एंजेलिस जा रहे विमान में 17 क्रू सदस्य और 293 यात्री सवार थे। कैथे विमान कंपनी ने इस पर कहा कि जब विमान उड़ान भरने वाला था, तभी कुछ तकनीकी समस्या का पता चला, जिसके बाद उड़ान को रद्द करने का फैसला लिया गया।

● केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ओमिक्रॉन-विशिष्ट एमआरएनए-आधारित बूस्टर वैक्सीन जीईएमसीओवीएसी-ओएम® लॉन्च की। इस वैक्सीन को कुछ दिन पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) के कार्यालय से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए) के लिए मंजूरी मिली थी। इस दौरान डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मुझे डीबीटी द्वारा अपने मिशन को फिर से पूरा करने पर बहुत गर्व है। इस स्वदेशी एमआरएनए-प्लेटफॉर्म तकनीक के निर्माण से प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमिता को सक्षम किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डीबीटी और बीआईआरएसी ने पिछले नौ वर्षों में भारतीय टीका अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए कठिन प्रयास किए हैं।

25 जून

बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वित्तीय सहायता देगी आरईसी

● सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) लिमिटेड ने बेंगलुरु मेट्रो के चरण-II परियोजना के तहत मेट्रो लाइन की स्थापना और विकास के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) को 3,045 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। मेट्रो की चरण-II परियोजना में चरण-I के मौजूदा दो गलियारों का विस्तार शामिल है, अर्थात् पूर्व-पश्चिम गलियारा और उत्तर-दक्षिण गलियारा और 2 नई लाइनें, अर्थात् एक आर.वी. रोड से बोम्मसंद्रा तक और दूसरी कालेना अग्रहारा से नागवारा तक। ये लाइनें शहर के कुछ सबसे घने और अधिक यातायात वाले क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी।

● पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दो यात्री बसों की जबरदस्त टक्कर से करीब सात लोगों की मौत हो गई और 42 लोग घायल हो गए। बेनजीराबाद के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजीपी) मोहम्मद यूनिस चांडियो ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब 4 बजे नवाबशाह के पास मेहरान राजमार्ग पर हुई। हादसे का शिकार हुई बसें कराची और पेशावर से आ रही थीं। घायलों का इलाज पीपुल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में किया जा रहा है। डीआइजीपी के अनुसार गाड़ियों की रफ्तार तेज होने की वजह से टक्कर हुई।

26 जून

डेनमार्क के बैंक से इंफोसिस को मिला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट

● इंफोसिस लिमिटेड ने डेनमार्क के डेंस्के बैंक से 454 मिलियन डॉलर यानी करीब 36 अरब 88 करोड़ रुपये का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। पांच साल के इस सौदे के तहत भारत की आईटी कंपनी भारत में डेनमार्क के बैंक के आईटी केंद्र का अधिग्रहण करेगी। इंफोसिस को उम्मीद है कि सौदे का लेनदेन सितंबर के अंत से पहले पूरा हो जाएगा। इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि इंफोसिस अपने मुख्य कारोबार को अधिक डिजिटल, क्लाउड और डेटा क्षमताओं के साथ मजबूत करने के लिए डेंस्के बैंक के साथ गठजोड़ करेगी। यह डेंस्के बैंक की एआई में शक्तिशाली प्रगति का उपयोग करके अपने ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य बनाने में मदद करेगा, जिसमें जनरेटिव एआई भी शामिल है।

● नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने संदेश में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष की बात है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर 'नशा मुक्त पखवाड़ा' का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है, आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। इस नीति का एक मुख्य स्तंभ है सरकार की "व्होल ऑफ़ गवर्नमेंट अप्रोच", जिसमें अलग अलग विभागों के समन्वय से नीति और प्रभावी बनती है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे और ना ही भारत के माध्यम से ड्रग्स को विश्व में कहीं बाहर जाने देंगे।

27 जून

राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देगी केंद्र सरकार

● राज्यों में पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त और लॉन्ग-टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन देने का निर्णय लिया है। यह लोन स्पेशल असिसटेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इवेंस्टमेंट 2023-24 के तहत मंजूर किए गए हैं। राज्यों द्वारा पूंजीगत खर्च बढ़ाने के मकसद से 2023-24 के बजट में स्पेशल असिसटेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इवेंस्टमेंट 2023-24 स्कीम की घोषणा की गई थी। इस स्पेशल स्कीम के तहत राज्यों को 2023-24 में 1.3 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज 50 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। राज्यों को ये रकम 15वें वित्त आयोग के मुताबिक सेंट्रल टैक्स और ड्यूटी में राज्यों की हिस्सेदारी के अनुपात के आधार पर दी जा रही है। वित्त मंत्रालय ने 56,415 करोड़ रुपये देने पर जो मुहर लगाई है, उसमें सबसे ज्यादा बिहार को 9640 करोड़ रुपये मिलेंगे।

● शेयरों की खरीद-फरोख्त में निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेबी नया नियम लाया है। अब निवेशकों के खातों से तभी रकम कटेगी, जब वे शेयर खरीदेंगे। उन्हें ब्रोकरों को पहले यह पैसा नहीं देना होगा। इस पर सेबी ने कहा जिस तरह से आईपीओ में अस्बा (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड) की सुविधा है, उसी तरह से अब शेयर बाजार में शेयर खरीद पर भी अस्बा शुरू किया जाएगा। यह एक जनवरी 2024 से लागू होगा। सेबी ने कहा कि अस्बा की सुविधा से निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी। इसके तहत निवेशक की रकम क्लियरिंग कॉरपोरेशन (सीसी) को ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन यह तब तक ग्राहक के खाते में रहेगी, जब तक कि शेयर की खरीद-फरोख्त पूरी नहीं हो जाती है। जो निवेशक एकमुश्त रकम ब्लॉक करना चाहते हैं, उनकी रकम कई बार में खाते से कटेगी। यह उनके खाते में जमा पर निर्भर होगा।

28 जून

न्यूयॉर्क के स्कूलों में दिवाली पर रहेगी छुट्टी

● अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों में अब छुट्टी रहेगी। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि उन्हें गर्व है कि राज्य के सदन और राज्य के सीनेट ने न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल में दिवाली पर छुट्टी रखने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल भारतीय समुदाय के महिला व पुरुषों और दिवाली मनाने वाले सभी समुदायों की नहीं, बल्कि यह न्यूयॉर्क की जीत है। न्यूयॉर्क की प्रतिनिधि सभा की सदस्य जेनिफर राजकुमार ने कहा कि दो दशकों से अधिक समय से, दक्षिण एशियाई और भारतीय-कैरेबियाई समुदाय ने इस पल के लिए संघर्ष किया है। जेनिफर न्यूयॉर्क राज्य की प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई पहली भारतीय-अमेरिकी महिला हैं।

● दक्षिण कोरिया ने नागरिकों की उम्र की गणना के लिए एक नया कानून बनाया है। इस कानून के तहत देश ने उम्र की गणना करने की अपनी पारंपरिक पद्धति को बदलने का फैसला किया है। अब दक्षिण कोरिया में प्रशासनिक और नागरिक मामलों में उम्र की गणना बाकी दुनिया की तरह ही की जाएगी। दरअसल, पहले कुछ ऐसी प्रणाली थी कि दक्षिण कोरिया में किसी बच्चे के जन्म लेने पर उसे एक साल का मान लिया जाता था। यही नहीं हर जनवरी को एक साल के रूप में जोड़ा जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 जनवरी को जिस बच्चे ने जन्म लिया, वह आधी रात होते ही दो साल का हो जाता था। इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह कानून लाया गया।

29 जून

कैलिफोर्निया में ट्रक से टकराई ट्रेन

● अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक एमट्रैक ट्रेन पटरी पर फंसे एक ट्रक से टकरा कर पटरी से उतर गई, जिसमें करीब 16 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार यह हादसा लॉस एंजिल्स से सिएटल तक जाने वाली ट्रेन नंबर-14 के साथ सुबह करीब 11 बजे हुआ। एमट्रैक ने इस पर कहा कि ट्रेन टक्कर के बाद पटरी से उतरने के बाद भी सीधी खड़ी रही। हादसे में करीब 198 यात्री और 13 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दमकल और आपातकालीन चिकित्सा कर्मी के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है।

● भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ देशों में बैंकिंग प्रणाली की नाजुकता, निरंतर भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति में कमी के बीच बढ़ी हुई अनिश्चितता का सामना कर रही है। रिपोर्ट

में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू वित्तीय प्रणाली को मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल (मजबूत व्यापक आधार) का समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार निरंतर विकास की गति, मुद्रास्फीति में कमी, चालू खाता घाटे में कमी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, वर्तमान में जारी राजकोषीय समेकन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था को निरंतर विकास के रास्ते पर बनाए रखने में मदद कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ठोस सुधार आया है और बढ़ती अनिश्चितताओं व प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद यह सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

30 जून

आईटीयू ने 6जी तकनीक पर भारत के सुझावों को स्वीकारा

● संयुक्त राष्ट्र के टेलीकॉम निकाय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) ने 6जी तकनीक फ्रेमवर्क पर भारत के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत 6जी तकनीक के विकास में एक अहम किरदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि भारत को 6जी में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मार्च 2023 में भारत का 6जी विजन दस्तावेज जारी किया, जिसमें 2030 तक 6जी तकनीक के डिजाइन, विकास और तैनाती में भारत को अग्रणी योगदानकर्ता बनाने की परिकल्पना की गई है। टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि भारत के सुझावों को स्वीकारना अगली पीढ़ी की हाई-स्पीड प्रौद्योगिकी के विकास में देश की महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत है।

● जलवायु परिवर्तन के चलते मेक्सिको के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। जिसके चलते पिछले दो हफ्तों में करीब 100 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के अनुसार दो-तिहाई से अधिक मौतें 18-24 जून के बीच में हुईं। मेक्सिको में अधिकतर मौतें लू की वजह से हुईं। वहीं कुछ लोगों की मौत का कारण डिहाइड्रेशन भी रहा। भयंकर गर्मी के कारण बिजली की भी रिकॉर्ड मांग बढ़ गई है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गूगल से साभार)

20 वर्षों के अनुभव के साथ
CUET/CMAT
JOIN ONE YEAR COURSE
PNST (नर्सिंग)
9th/10th/11th/12th
PCM/B/COMM./ARTS
बालाजी® ट्यूटोरियल्स (Since 2004)
ऑफिस: 221, वेदा बिल्डिंग, भँवरकुआ इन्दौर
98930-53653
R-48734/2023

साप्ताहिक
रोज़गार और निर्माण
में विज्ञापन के लिए दरें
टैरिफ

क्रमांक	ब्लैक एंड व्हाइट रेट प्रति वर्ग सेमी (sq Per cm)	रंगीन रेट प्रति वर्ग सेमी (sq Per cm)
1. डीएवीपी (DAVP) रेट	13.36	18.70
2. कॉन्ट्रैक्ट रेट	70.00	98.00
3. कमर्शियल रेट	80.00	112.00

फुल पेज का आकार

चौड़ाई	-	25 सेंटीमीटर
लंबाई	-	37 सेंटीमीटर
कुल वर्ग सेंटीमीटर	-	925 वर्ग सेंटीमीटर

संपर्क करें :
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
ई मेल : madhyam.rojgar@gmail.com Website : www.mpmadhyam.in
नोट : 1. 5% जीएसटी (GST) शुल्क अलग से देय होगा।
2. 4.5X5 सेमी (cm) से कम का विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वर्ष 40, अंक 27 03.07.2023 से 09.07.2023

रोज़गार और निर्माण

rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - मनीष सिंह
- सम्पादक - राजीव तिवारी
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
- आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

विकसित राज्य के रूप में उभरा मध्यप्रदेश

देश के हृदय स्थल मध्यप्रदेश ने पिछले डेढ़ दशक में विकास के नये आयाम स्थापित कर विकसित राज्य की पहचान बना ली है। मध्यप्रदेश को सुशासन और विकास रिपोर्ट-2022 के अनुसार राज्य में आये बदलाव से मध्यप्रदेश बीमारू से विकसित प्रदेशों की पंक्ति में उदाहरण बनकर खड़ा हुआ है। इस महती उपलब्धि में मध्यप्रदेश में जनभागीदारी से विकास के मॉडल में अहम भूमिका निभायी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मध्यप्रदेश को अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय बना दिया है। इस अरसे में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, पर्यटन, जल-संवर्धन, सिंचाई, निवेश, स्वरोज़गार और अधोसंरचना विकास के साथ उन सभी पहलुओं पर सुविचारित एवं सर्वांगीण विकास की नवीन गाथा लिखी गयी। जो जनकल्याण के साथ विकास के लिये जरूरी है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन और चौतरफा विकास से आज प्रदेश की विकास दर 19.7 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। देश की अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश 4.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2001-02 में 4.43 प्रतिशत की दर आज बढ़कर 16.43 प्रतिशत हो गयी है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 71,594 करोड़ रुपये से बढ़कर 13 लाख 22 हजार 821 रुपये हो गया है। वर्ष 2001-02 में प्रति व्यक्ति आय 11 हजार 718 रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1 लाख 40 हजार 583 रुपये हो गयी है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर विगत एक दशक में राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। विकास प्रक्रिया अधोसंरचना के महत्व के मद्देनजर मध्यप्रदेश में निरंतर अधोसंरचना विकास हो रहा है। अधोसंरचना बजट जो वर्ष 2023 में 3873 करोड़ रुपये था, वह वर्ष 23-24 में बढ़कर 56 हजार 256 करोड़ रुपये हो गया है। एक समय था जब बिजली आती कम थी और ज्यादा जाती थी। आज प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है। वर्ष 2003 में ऊर्जा क्षमता 5 हजार 173 मेगावॉट थी, जो बढ़कर 28 हजार मेगावॉट हो गयी है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है। ओंकारेश्वर में लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये के निवेश से 600 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट का कार्य प्रारंभ हो गया है। किसानों के खेतों में 50 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है। विश्व धरोहर सांची बहुत जल्द सोलर सिटी के रूप में विकसित होकर देश में अपनी अलग पहचान बनायेगा। अच्छी सड़कें विकास की धुरी होती हैं। एक समय था तब यह पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। अब गांव-गांव, शहर-शहर अच्छी गुणवत्तायुक्त सड़कों का जाल बिछाया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2001-02 में 44 हजार किलोमीटर सड़कें थीं। अब 4 लाख 10 हजार किलोमीटर सड़कें बन गयीं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई के 40 हजार करोड़ की लागत के 35 कार्य स्वीकृत हैं। अटल, नर्मदा और विंध्य प्रगति पथ के साथ मालवा, बुंदेलखंड और मध्य विकास मित्र निर्मित किये जा रहे हैं।

धीमी गति से विकसित हुआ था वृहस्पति का चांद

हम अक्सर चांद और सूरज की चर्चा करते हैं। इनके बारे में एक तथ्य जो सबसे ज्यादा जाना जाता है कि चांद की सतह बहुत ठंडी है और सूर्य अत्यन्त गर्म है। हमारी धार्मिक व्यवस्था में भी चांद और सूरज की महत्ता सर्वविदित है। सौर मंडल में ही पृथ्वी के बाहर किसी न किसी रूप में जीवन के होने की उम्मीदें हैं। अब एक नये अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वृहस्पति के चन्द्रमा यूरोपा की आंतरिक संरचना पृथ्वी की तरह है। इसका विकास, काफी धीमी गति से हुआ था। इस अध्ययन में यूरोपा की आंतरिक संरचना के विकास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यूरोपा के आंतरिक हिस्से में चार परतें मौजूद हैं। पहले सबसे ऊपरी परत बर्फीली है। इसके नीचे नमकीन महासागर है, जिसके नीचे पथरीला मैटल और सबसे अंदर धातु से निर्मित क्रोड है। अध्ययन में माना गया है कि यूरोपा में पृथ्वी की संरचना में थोड़ा बहुत अंतर तब आया, जब उसका निर्माण हो रहा था फिर उस समय के फौरन बाद ही आया होगा। हालांकि शोधकर्ता का मानना है कि वृहस्पति का चांद यूरोपा बहुत ही ठंडे हालात में बना था, जिसका मतलब यही है कि वह निर्मित होने के बाद पानी-बर्फ सा हाइड्रेटेड सिलिकेट से बना होगा। अध्ययन में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कम्प्यूटर कोड की मदद से यूरोपा के कम तापमान के निर्माण के प्रभावों की पड़ताल की। शोधकर्ताओं ने दर्शाया कि यदि यूरोपा का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली हाइड्रेटेड चट्टानों से हुआ था तो उपग्रह का काफी आंतरिक हिस्सा गर्म हो गया होगा, जिसके कारण इससे पानी सीधे बाहर निकल गया होगा जिससे महासागर और बर्फीली खोल बन गई होगी।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

नेशनल डॉक्टर्स डे | 1 जुलाई

कृतज्ञता ज्ञापन का पर्व है डॉक्टर्स डे

समूचे विश्व में जिन पेशों को प्रतिष्ठापूर्ण और सम्मानजनक माना जाता है, उनमें डॉक्टर्स का पेशा अग्रगण्य है। समूचे विश्व में कोरोना संक्रमण के समय डॉक्टर्स कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सबसे अहम् पहचान भी बना चुके हैं। डॉक्टर्स ने अपने काम से यह दर्जा हासिल किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स ने गहन शोध से कई असाध्य बीमारियों की रोकथाम और उनके उपचार के स्तुति योग्य प्रयास किये हैं। डॉक्टर्स के समर्पण, कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, लगन और उनके सेवाभाव को सम्मान देने के लिए और उनके अवदान की सराहना और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिये प्रति वर्ष 1 जुलाई को समूचे देश में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में तो तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने एक वेबीनार में यह तक कहा था कि बिना चिकित्सकों के अवदान के कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सच तो यह है कि चिकित्सक हमारे देश में सदैव प्रणाम योग्य रहे हैं मगर कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में उनकी अभूतपूर्व भूमिका ने उन्हें पूज्य बना दिया है। अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ितों को बचाने में सन्नद्ध डॉक्टर्स सही मायनों में कोरोना योद्धा हैं।

डॉ. बिधान चन्द्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है डॉक्टर्स डे

भारत में डॉक्टर्स डे की शुरुआत वर्ष 1991 मे भारत सरकार द्वारा की गई थी। तब से हर साल जुलाई की पहली तारीख राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के रूप में पहचानी जाती है। इस दिन को पूरे भारत में महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चन्द्र रॉय का सम्मान करने एवं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुनिश्चित किया गया था। डॉ. बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई, 1882 को बिहार के पटना शहर में हुआ था, और इसी दिन 80 साल बाद इनकी मृत्यु हुई। उन्होंने कलकत्ता से अपना मेडिकल स्नातक का कोर्स पूरा करने के पश्चात आपने लंदन में एम.आर.सी.एस. और एफ.आर.सी.एस. डिग्री हासिल की और वर्ष 1911 में भारत वापस आकर उन्होंने भारत में एक चिकित्सक के रूप में अपना मेडिकल कॅरियर शुरू किया। वे देश के एक प्रसिद्ध चिकित्सक और शिक्षाविद् के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा किये गये आंदोलनों में हिस्सा लिया था और उनके द्वारा किये गये अनशन में उनकी चिकित्सकीय देखभाल भी की। आजादी के बाद वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। उन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा इनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1976 में इन्हें याद करने के लिए डॉ. बी.सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना भी की गई। यह पुरस्कार उन्हें सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए था। ऐसे महान व्यक्तित्व को सम्मान देने और याद करने के लिए ही नेशनल डॉक्टर्स डे की शुरुआत की गई।

गांव में ऐसी शिक्षा मिले कि युवा आसानी से डॉक्टर बनें

इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे पर हम एक ऐसे डॉक्टर की बात करेंगे जो ग्रामीण परिवेश में रहकर शिक्षा के लिये कठिन परिस्थितियों और आर्थिक परेशानियों से गुजरकर भी अपने साहस और संकल्प के बूते 'नीट' जैसी कड़ी प्रतियोगिता परीक्षा

पास कर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। यह सफलता की कहानी है देवास जिले के विजयगंज मण्डी के युवक आशाराम चौधरी की है, जो गांव में एक कच्चे बिना बिजली के घर में रहता था और उसके माता-पिता मजदूरी और पन्नी बिनने का काम करते थे। आज आशाराम, जोधपुर मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस.कर इन दिनों वहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर आशाराम मानते हैं कि गांव के बच्चों को यदि शिक्षा और संसाधन मिले तो वे भी उच्च शिक्षा के नये प्रतिमान गढ़ने के साथ ही गांव का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आशाराम ने विजयगंज मण्डी में अपने भाई सीताराम के साथ मिलकर गांव में बच्चों के लिये पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए कोचिंग क्लास और लाइब्रेरी खोली है। यहां पर स्टूडेंट्स को नाममात्र के शुल्क पर ज्वाइंट इंट्रेंस एक्जाम और नेशनल इलीजिबिलिटी एण्ड इंट्रेंस टेस्ट (जेइइ-नीट) की तैयारी करवा रहे हैं। आशाराम ने बताया कि लाइब्रेरी के लिए पूरे देश से कई लोगों ने अपनी किताबें डोनेट कीं और दो महीने में लाइब्रेरी में पांच सौ से अधिक किताबें जमा हो गई हैं। कोचिंग में आशाराम के छोटे भाई सीताराम फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स पढ़ाते हैं, जबकि आशाराम खुद जोधपुर से ऑनलाइन जुड़कर बच्चों को बॉयोलॉजी विषय पढ़ाते हैं। ये सिलसिला निरन्तर चल रहा है। वर्ष 2018 में आशाराम चौधरी ने 'नीट' के जरिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाया था। आशाराम न्यूरोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं। वे चिकित्सक बनने के बाद गांवों में सेवा देना चाहते हैं, ताकि गांव में भी अच्छी चिकित्सा सेवा मिल सके।

डॉक्टर्स की भूमिका पर गंभीर विमर्श होता है इस दिन

एक नागरिक और एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और मानवमात्र के लिये अपनी सार्थक भूमिका निभाने के लिये हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने में एक डॉक्टर सबसे अहम् भूमिका निभाता है। एक ओर जहां लोगों के लिए डॉक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स अपने मरीजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समूची गंभीरता के साथ पूरा करते हैं। ऐसे में उनका सम्मान हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने डॉक्टर्स के सम्मान के लिये एक दिन मुकर्रर किया, जो डॉक्टर्स की भूमिका के प्रति जागरूकता अभियान के रूप में शुरू किया गया। यह एक वार्षिक उत्सव है, जो आम लोगों को डॉक्टर्स की भूमिका, महत्व एवं उनके द्वारा की गई अनमोल देखभाल के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। डॉक्टर्स के अवदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का यह वार्षिक उत्सव सभी डॉक्टर्स के लिए प्रोत्साहन का दिन भी होता है। यह जागरूकता अभियान सभी डॉक्टर्स को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जिम्मेदारी के निर्वहन के प्रति सचेत भी करता है और जीवन रक्षा के ध्येय के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। यह दिन उनके प्यार, स्नेह और रोगियों की अनमोल देखभाल के प्रति उनके समर्पण भाव के लिए धन्यवाद देने का दिन होता है, इसलिए इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

बहुविध आयोजन के साथ मनता है डॉक्टर्स डे

डॉक्टर्स के अमूल्य योगदान से परिचित होने और उनके अवदान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये विभिन्न व्यक्ति और संगठन इस दिन कई आयोजन करते हैं। मुख्य रूप से सरकारी और निजी स्वास्थ्य संगठनों में कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसे डॉ. बिधान चन्द्र रॉय की कर्मभूमि उत्तरी कोलकाता एवं उत्तर-पूर्वी कोलकाता में मुख्य रूप से सक्रिय सामाजिक एवं कल्याण संगठनों और रोटरी क्लब द्वारा मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे पर हर साल यहां भव्य आयोजन होता है। इस दिन चिकित्सा पेशे से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य जांच, इलाज, रोकथाम, रोग का उचित उपचार आदि मुद्दों पर व्यापक चर्चा और गहन विमर्श करने से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस दिन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले संगठनों द्वारा कई स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर आम जनता के लिए चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किये जाते हैं, जो निःशुल्क होते हैं। इसके अलावा इस दिन गरीबों एवं वरिष्ठ नागरिकों के बीच स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य को लेकर जरूरी विमर्श, स्वास्थ्य के लिये पोषण से जुड़ी सलाह और पुरानी बीमारियों के प्रति जागरूकता का आकलन करने के लिए जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। हर किसी के जीवन में डॉक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जागरूक करने के लिए मुफ्त में ब्लड टेस्ट, रैंडम शुगर टेस्ट, ईसीजी, ईईजी, ब्लड प्रेशर चेकअप आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। युवा छात्रों को डेडिकेटेड मेडिकल प्रोफेशन की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के स्तर पर कुछ गति स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम या डॉक्टर्स द्वारा घरों पर विशेष मीटिंग का आयोजन किया जाता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार का प्रचलन बढ़ा

कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण पिछले कुछ सालों से देश के अलग-अलग हिस्सों में सेमिनार, सभा, समारोह आदि का आयोजन कोरोना नियंत्रण के लिये अंगीकार किये गये अनुशासन के कारण नहीं हो रहे थे। इधर डॉक्टर्स द्वारा हर स्तर पर की जा रही कोशिश के लिए उनका सम्मान करना भी जरुरी था, अत: डॉक्टर्स की हौसला अफजाई के लिए इन वर्षों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राज्यस्तरीय वेबिनार और वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं। कुछ वेबीनार कोरोना के उपचार के लिये बनने वाली दवाओं और निर्माणाधीन वैक्सीन पर केन्द्रित थे। डॉक्टर्स डे पर अपने कार्यक्षेत्र में कुछ विशिष्ट करने वाले डॉक्टर्स की प्रेरक कथाएं भी मीडिया पर जारी की गईं। इस दिन अब हर साल कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में डॉक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की जाती है। कोविड-19 अर्थात् कोरोना संक्रमण के बाद से डॉक्टर्स की भूमिका में एक और दायित्व का जुड़ाव हुआ है वह यह कि अब डॉक्टर उपचार के साथ महामारी से बचाव और उससे जुड़ी वैश्विक सूचनाएं जनमानस तक पहुंचाने का बड़े काम को भी अंजाम दे रहे हैं।

राजा दुबे

(लेखक : जनसम्पर्क के सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं।)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया-इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता शालाक्य तंत्र (Lecturer Shalakya tantra) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
13/2023/21/06/2023	अंतिम तिथि 09.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	जमा करने की अंतिम तिथि 21.08.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता शालाक्य तंत्र (Lecturer Shalakya tantra) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 10.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 09.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता शालाक्य तंत्र (Lecturer Shalakya tantra) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंकसूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 13.07.2023 से 11.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्दीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्दीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD/MS (शालाक्य तंत्र)

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत-शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम / निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र** में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता शालाक्य तंत्र (Lecturer Shalakya tantra)	1	1	2	2	0	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता शालाक्य तंत्र (Lecturer Shalakya tantra) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
मुख्य भाग (87%)		1	1	2	2	0	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0
प्रावधिक भाग (13%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	व्याख्याता शालाक्य तंत्र (Lecturer Shalakya tantra)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्दीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्दीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्दीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD/MS (शालाक्य तंत्र)

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 09.08.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **(क) आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि 01.01.2024**

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु.जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू. एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र** में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट - II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट - III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट - IV**

सचिव

परिशिष्ट - II
आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। **तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गो हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : **(1) परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – 'एक' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट - III
अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http:\\www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्रमांक	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र / विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वाछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21.08.2023 (शाम 6:00 बजे) तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21.08.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।

2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ड़) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 13.07.2023 से 11.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. **परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
Rs. 250/-	Rs. 500/-

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 09.08.2023** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :- दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं .... आयोग के मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता शालाक्य तंत्र (Lecturer Shalakya tantra) **क्रमांक 13/2023 दिनांक 21.06.2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/ .... जिला ...., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं .... जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

रोल नंबर ....

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ड़) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

(शेष अगले पृष्ठ पर)

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India

एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इंदौर

(इण्डो-जर्मन टूल रुम, इन्दौर)

igtr

291-बी, 302-ए, सेक्टर-ई, इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर (म.प्र.)-452015
ई-मेल: trg@igtr-indore.com, Ph.: 0731-4210700, 4210709, 4210743

एससी एसटी के उमीद्वारों के लिए ट्यूशन फीस निःशुल्क

एससी एसटी के उमीद्वारों के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट

प्रवेश सूचना-2023-24

ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.व्ही.टी. स्वीकृत डिप्लोमा/आई.टी.आई पाठ्यक्रम

इंजीनियरिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर

सभी कोर्सेस में SC/ST छात्रों को ट्यूशन फीस निःशुल्क एवं उम्र में 3 साल की छूट

इंडो जर्मन टूल रूम, इन्दौर में निम्न कोर्सेस संचालित किये जा रहे है, सभी कार्सेस AICTE अथवा NCVT से मान्यता प्राप्त है। इन सभी कोर्स की उद्योगों में बहुत मांग है तथा रोजगार की संभावना भी अत्यधिक है ।

	क्र.	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	न्यूनतम पात्रता	कोर्स की मान्यता	
GROUP "A"	1	एडवास डिप्लोमा इन टूल एण्ड हाई मेकिंग (ADTDM)	4 साल	गणित एवं विज्ञान विषय सहित 10वीं उत्तीर्ण (सामान्य 60%) (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 50%) दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 19 वर्ष	AICTE	समूह 'A' के लिए स्कैन करें
	2	डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स (DIM)	3 साल			
	3	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस (DICS)	3 साल			
GROUP "B"	4	डिप्लोमा इन वोकेशन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी (D Voc)	3 साल	10वीं उत्तीर्ण दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 23 वर्ष		
	5	सर्टिफिकेट कोर्स इन मशीनिष्ट ट्रेड	2 साल	गणित एवं विज्ञान विषय सहित 10वीं उत्तीर्ण दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 23 वर्ष	NCVT (ITI)	समूह 'B' के लिए स्कैन करें
	6	सर्टिफिकेट कोर्स इन फिटर ट्रेड	2 साल			
	7	सर्टिफिकेट कोर्स इन वेल्डर ट्रेड	1 साल			

- क्रमांक 1 से क्रमांक 3 (ग्रुप-A) के लिए आवेदन फॉर्म 24/04/2023 से कॉलेज में आकर या क्यू आर कोड स्कैन करके जमा कर सकेगे।
- क्रमांक 1 से क्रमांक 3 (ग्रुप-A) के लिए प्रवेश परीक्षा दिनांक 25/06/2023 को होगी एवं प्रवेश 10वी के मेरिट एवं प्रवेश परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर 03/07/2023 से शुरु होगे।
- क्रमांक 4 से क्रमांक 7 (ग्रुप-B) के लिए प्रवेश कॉलेज लेवल काउंसिलिंग आधार पर 24/04/2023 से शुरु होगे।
- क्रमांक 5 से क्रमांक 7 के कोर्सस में प्रवेश के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.igtr-indore.com देखे एवं कॉलेज में आकर जानकारी प्राप्त करें। कोर्स के फॉर्म वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- प्रशासन एवं परिस्थिति के अनुसार किसी भी दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है।

deepak

सम्पर्क : सोमवार से शनिवार सुबह 9.30 से शाम 5:00 तक

291/बी-302/ए, सेक्टर-ई, इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर- 452015

आप 9009000276, 7415816011 अथवा 9977703559 पर Whatsapp द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते है

R-48721/2023

Lal Bahadur Shastri Institute of Technology & Management (LBSITM)

Approved by AICTE, Affiliated to DAVV, Indore

Sanwer Road State Highway, Indore-453 551 (M.P.)
91 98265-55245, 07321-299436

Applications are invited for:

DIRECTOR | PRINCIPAL
PROFESSOR | ASSOCIATE PROFESSOR
ASST. PROFESSOR (Commerce & Management)

Areas of Specialization: Marketing, Human Resources, Finance, Information Technology, Economics and General Management & Commerce. (Selection Under DAVV College Code 28).

Placement Officer | Assistant Placement Officer
System Administrator | Librarian | Sports Officer
Lab Technician Computers | Office Executives

Eligibility: As per UGC / AICTE Norms, Candidates should be NET / SET / SLET Qualified / Ph.D. (Regulation 2009 in their relevant field).

VIGILANCE

Please mail your application with resume to:
recruitmentslbsitmindore@gmail.com
Apply within 7days from the date of advertisement.

R-48720/2023

DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA, INDORE

(A State Govt. University of M.P., Established in 1964)
NAAC ACCREDITED 'A+' GRADE

ADMISSION NOTICE-2023

M.E./M.Tech./M.Pharm. (Full-Time)/M.E.(Part-Time)/M.Tech. (Executive)/M.Sc.(Full-Time) Programmes

Online applications are invited from GATE/GPAT/Non-GATE/Non-GPAT candidates/Sponsored working candidates for admission in (i) M.E./M.Tech./M. Pharm. (Full-Time) programmes, (ii) Working executives for admission in M.E. (Part-Time)/M.Tech. (Executive), and (iii) B.Sc./B.E./B.Tech. graduates for admission in M.Sc. (Full-Time) Programmes as detailed below :

Group A : M.E. (Full-Time)/Group B: M.E. (Part-Time) Programmes

Institute of Engineering & Technology : 1. Computer Engineering with spl. in Software Engg. 2. Electronics with spl. in Digital Instrumentation 3. Electronics with spl. in Digital Communication 4. Industrial Engineering & Management 5.Mechanical Engineering with spl. in Design & Thermal Engineering. 6. Information Technology with spl. in Information Security.

Group C : M.Tech. (Full-Time) Programmes

School of Computer Science & IT : 1. Computer Science 2. Network Management & Information Security 3. Information Architecture & Software Engineering. **School of Data Science & Forecasting :** 1. Data Science 2. Big Data Analytics. **School of Electronics :** 1. Embedded Systems **School of Energy and Environmental Studies :** 1. Energy Management 2. Energy & Environment Management **School of Instrumentation :** 1. Instrumentation 2. Internet of Things. **School of Physics :** Laser Science & Applications.

Group D : M.Tech. (Executive) Programmes

School of Computer Science & IT : Computer Science. **School of Data Science & Forecasting :** Data Science. **School of Electronics :** Embedded Systems. **School of Energy and Environmental Studies :** Energy Management. **School of Instrumentation :** Instrumentation.

Group E : M.Pharm. (Full-Time) Programme

School of Pharmacy : Pharmaceutical Chemistry.

Group F : M.Sc. (Full-Time) Programme

School of Energy and Environmental Studies : Energy and Environment

The details of admission procedure, seats, eligibility, fee, etc. are available on **http://www.dauniv.ac.in/memtechmpharm**. The application should be submitted through **https://davv.mponline.gov.in**. The last date for submission of the application form is **20th July, 2023**. Non refundable application fee for each group of programmes is Rs. 1000/- (Rs. 600/- for SC/ST of M.P. domicile) only.

M.P. Madhyam/110570/2023 **REGISTRAR**

R-48723/2023

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
ईमेल : ee@rvskvv.net, फोन: 0751-2467680

No./ IPRO/E.E./2023/Gwalior/1088 Date:- 28/06/2023

// प्रेस विज्ञप्ति //

निविदा सूचना क्रमांक **E.E./Tender/2023/Gwalior/1067/22.06.2023** रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अन्तर्गत भवन निर्माण/अन्य कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा **2023_RVSKV_287653_1, 2023_RVSKV_287654_1, 2023_RVSKV_287657_1, 2023_RVSKV_287660_1, 2023_RVSKV_287661_1** आमंत्रित की गई है। निविदा की ऑनलाईन क्रय की अंतिम तिथि **14.07.2023** तक है विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण पोर्टल https://www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

ATUL

कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

R-48722/2023

(पिछले पृष्ठ का शेष)

और/ या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में):-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोज़गार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-15860/48711/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया-इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता कौमारभृत्य (Lecturer Kaumarabhritya) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
15/2023/26/06/2023	अंतिम तिथि 20.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	जमा करने की अंतिम तिथि 28.08.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता कौमारभृत्य (Lecturer Kaumarabhritya) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 21.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 20.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता कौमारभृत्य (Lecturer Kaumarabhritya) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंकसूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु **परिशिष्ट-IV** का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा “Payment Done” स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 23.07.2023 से 22.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक** ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि **(देखें परिशिष्ट-2)** का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (कौमारभृत्य/बालरोग)

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत-शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र** में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता कौमारभृत्य (Lecturer Kaumara-bhritya)	1	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता कौमारभृत्य (Lecturer Kaumarabhritya) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
मुख्य भाग (87%)		1	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रावधिक भाग (13%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	व्याख्याता कौमारभृत्य (Lecturer Kaumarabhritya)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (कौमारभृत्य/बालरोग)

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 20.08.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरूद्ध विचारित किए जाऐंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: (क) **आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) **आयु सीमा में छूट :** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2024

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू. एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट -II
आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। **तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : **(1) परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – 'एक' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-III

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगें, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते है तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वाछिंत दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्रमांक	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	**(क)** माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 28.08.2023 (शाम 6:00 बजे) तक** आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 28.08.2023 (शाम 6:00 बजे)** के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधाधारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 23.07.2023 से 22.08.2023 (दोपहर 12:बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. **परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
Rs. 250/-	Rs. 500/-

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 20.08.2023 है।** अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :- दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मैट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं .... आयोग के मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता कौमारभृत्य (Lecturer Kaumarabhritya) क्रमांक 15/2023 दिनांक 26/06/2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं।

1. मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/........................ जिला ...., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं .... जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- .... **हस्ताक्षर** ....

नाम ....

रोल नंबर ....

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वाछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हो या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

(शेष अगले पृष्ठ पर)

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P.-462011

NOTICE INVITING TENDER FOR SQC CONSULTANCY (E-Procurement Notice)

No. 10214/22/D-12/SQC/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 28.06.2023

Online bids are invited from the consultants fulfilling the required qualification criteria for Supervision and Quality Control Consultancy of Rural Roads being constructed under PMGSY-III/WB/RCPLWEA & Other Works for the following districts.

- No. of Packages - 2
  Name of Districts/PIU - Narsinghpur, Seoni-1 & 2.
- Cost of Bid Document, Bid Security (EMD) and service charges as appearing on e-procurement portal are to be paid simultaneously through Debit Card/Credit Card/Internet Banking or system generated challan. For detailed procedure of online payment of EMD and submission of affidavit please refer condition number 2 of detailed NIT.

1. RFP document may be seen, downloaded and purchased from our e-procurement website **https://mptenders.gov.in** from 17:00 hrs on 30.07.2023
2. Last date of Submission of bid is date 13.07.2023 upto 17.00 hrs.
   Other details & conditions may be seen in the detailed NIT, Tender document for SQC of Roads and Bridge works August, 2020 (Updated upto 28.06.2021) on our Website **http://mptenders.gov.in.**

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/110584/2023

R-48724/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchyat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal (M.P.) 462 011

No./10248/22/D-12/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 28.06.2023

NOTICE INVITING TENDER No. 1119 (PMGSY-Bridge-BW)

Online Tenders for Construction of Bridges with 5 years defect liability & maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below :-

- **Name of Work : Construction of Bridges under PMGSY including maintenance for Five year after construction**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Chhindwara	1	31585730.00

1. **Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available online and should be submitted online in **https://www.mptenders.gov.in.** The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchased online from **30.06.2023 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **14.07.2023 (17:00 hrs.).**
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMGSY Works (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/110598/2023

R-48725/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchyat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal (M.P.) 462 011

No./10251/22/D-12/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 28.06.2023

NOTICE INVITING TENDER No. 1120 (PMGSY-Bridge-BW)

Online Tenders for Construction of Bridges with 5 years defect liability & maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below :-

- **Name of Work : Construction of Bridges under PMGSY including maintenance for Five year after construction.**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Katni	1	9767579.00
2	Raisen	1	3881000.00

1. **Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available online and should be submitted online in **https://www.mptenders.gov.in.** The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchased online from **30.06.2023 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **14.07.2023 (17:00 hrs.).**
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMGSY Works (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/110599/2023

R-48726/2023

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड संभाग क्रमांक 03, भोपाल-462003

Mobile No. 9425601545, ई-मेल : mpphidcbpl3@gmail.com

क्र.-मप्रपुआअविनि/593/पयं/भोपाल-03/तशा/2023

भोपाल, दिनांक : 30.06.2023

प्रेस विज्ञप्ति

भोपाल संभाग-3 के अंतर्गत निर्माण कार्य नवीन 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल गंजबासौदा जिला विदिशा हेतु निविदा क्रमांक-06/2023-24 (टेण्डर क्रमांक-2023_MPPHC_288213) आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 29.07.2023 सायं 5:00 बजे तक खरीदे एवं दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/110621/2023 **परियोजना यंत्री**

R-48729/2023

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र. 1, भदभदा रोड, भोपाल

क्र./607/तशा/प.यं./2023 दिनांक : 26.06.2023

प्रेस विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा गुना जिले में मरम्मत कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा क्रमांक (1) 2023_MPPHC_287745_1, (2) 2023_MPPHC_287747_1, दिनांक 11.07.2023 समय 17.00 बजे तक खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/110625/2023 **परियोजना यंत्री**

R-48732/2023

आम-सूचना

"सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा **मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत (उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023)** का आयोजन किया जाना है। उक्त परीक्षा बिना किसी विवाद के संचालित हो सके इस संबंध में बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर म.प्र.के समक्ष केवियट दायर की जा रही है। यदि किसी अन्य द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाती है, तो उसकी एक प्रति बोर्ड के अधिवक्ता-(1) श्री राहुल दिवाकर अधिवक्ता- 751 अग्रवाल कालोनी, जबलपुर (2) श्री कौस्तुभ पाठक अधिवक्ता-102 वी ब्लॉक प्रकृति कार्पोरेट 18/2 वाय.एन. रोड, इंदौर एवं (3) श्री प्रवीण नेवास्कर अधिवक्ता-के.ऑफ श्री के.एन. गुप्ता सीनियर एडवोकेट, सरदार आंगरे का बाड़ा, लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें"।

विज्ञापन क्रमांक 11/2023

संचालक

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल

चयन भवन, मेन रोड नं.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462011

म.प्र. माध्यम/110623/2023

R-48730/2023

CENTRE FOR DISTANCE AND ONLINE EDUCATION (CDOE)

DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA

(DAVV), NAAC "A+"

www.cdoedavv.ac.in, Email : ddedavv@outlook.com

Direct Admission - No Entrance Exam

Open and Distance Learning Mode at par with Regular Programs

MBA (02 Yrs, ODL)	MCA (02 Yrs, ODL)
Specializations from Second Year Marketing/Finance/ Human Resource/ Logistics & Supply Chain/ Business Analytics/Energy Management	Job oriented curriculum; matching industry needs, providing theoretical and practical computer application knowledge

UGC and AICTE Approved 02 Years PG Programs

Apply online through **davv.mponline.gov.in** latest by **26th August' 2023***. Counseling and admission process will be on **27th August' 2023****. For eligibility, documents required and other details visit : **www.cdoedavv.ac.in, www.dauniv.ac.in.**

* may be extended ** subjected to change

M.P. Madhyam/110613/2023 **REGISTRAR, DAVV**

R-48728/2023

(पिछले पृष्ठ का शेष)

और/या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में):-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैऐन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-15867/48713/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता शल्य तंत्र (Lecturer Shalya Tantra) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 14/2023/26/06/2023 | ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) | आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28.08.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता शल्य तंत्र (Lecturer Shalya Tantra) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 21.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 20.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता शल्य तंत्र (Lecturer Shalya Tantra) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 23.07.2023 से 22.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD/MS (शल्य तंत्र)/संज्ञाहरण)

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता शल्य तंत्र (Lecturer Shalya Tantra)	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता शल्य तंत्र (Lecturer Shalya Tantra) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
	मुख्य भाग (87%)	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	प्रावधिक भाग (13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	व्याख्याता शल्य तंत्र (Lecturer Shalya Tantra)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता :** **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD/MS (शल्य तंत्र)/संज्ञाहरण)

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 20.08.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **(क) आयु सीमा:** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि** 01.01.2024

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू. एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	5 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II

आयु सीमा में छूट

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग

के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :

(1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-।।।

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटिसुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्र.	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश की चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/ विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/ कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/ स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 28.08.2023 (शाम 6:00 बजे) तक** आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.08.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-**

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 23.07.2023 से 22.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 20.08.2023** है। अंतिम तिथि को **दोपहर 12:00 बजे** के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :- दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ....आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग** हेतु व्याख्याता शल्य तंत्र (Lecturer Shalya Tantra) क्रमांक 14/2023 दिनांक 26/06/2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं.......................................पुत्र/पुत्री श्री...........................निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/.....................जिला............................मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ....जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :-.......................

हस्ताक्षर.......................

नाम.............................

रोल नंबर.......................

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को

(शेष अगले पृष्ठ पर)

Office of the Commissioner, Land Records
Rajaswa Bhawan, Naka Chandrawadni, Vivekanand Needam Road, Gwalior, Madhya Pradesh-474002

Phone : 0751-2441200, E-mail : clrgwa@nic.in

Tender Notice

Commissioner of Land Records, Madhya Pradesh ("MPCLR" of "The Purchaser") invites proposals from eligible Bidders for **"Selection of Agency for DMS Solution and Digitization of Legacy Records"**. More details on the required Services are provided in the RFP under **Section-5: Terms of Reference.**

#	Tender No.	Name of the Work/ Services	Tendr Fees (In INR)	Earnest Money Deposit (EMD) (In INR)	Last date & time of submission of Bid
1.	MPCLR/ 2023/DMS & Digitization/ 002	Selection of Agency for DMS Solution and Digitization of Legacy Records.	INR. 5000/- + Processing Fees (non-refundable) to be paid online through MP e-Tendering portal.	INR 6,200,000/- (INR Sixty-Two Lakhs only) Bidder may submit the EMD in the form of Bank Guarantee Online or MP Tender portal & upload the scanned copy of receipt on the MPTender Portal (https://www.mptenders.gov.in)	24.07.2023 at 15.00 Hrs.

Commissioner

G-15692/48708/2023 Land Records, Madhya Pradesh

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)

Block-II, 5th Floor, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P.-011

No./10361/22/D-12/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 30 .06.2023

AMENDMENT No.-1 TO SHORT NIT For SQC CONSULTANCY

The following amendment is hereby made in the Short NIT issued vide this office No. 10214/22/D-12/SQC/MPRRDA/2023 Bhopal, **Dated 28.06.2023.**

- **In short NIT, Notice Inviting Tender for SQC Consultancy RFP document download and purchase date may be read as 30.06.2023 instead of 30.07.2023.**

Rest of the NIT conditions and detailed NIT remain unchanged.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/110628/2023

R-48733

आम-सूचना

''सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा **पुलिस मुख्यालय (पुलिस) विभाग मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत (आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023)** का आयोजन किया जाना है। उक्त परीक्षा बिना किसी विवाद के संचालित हो सके इस संबंध में बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर म.प्र. के समक्ष केवियट दायर की जा रही है। यदि किसी अन्य द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाती है, तो उसकी एक प्रति बोर्ड के अधिवक्ता-(1) श्री राहुल दिवाकर अधिवक्ता-751 अग्रवाल कालोनी, जबलपुर (2) श्री कौस्तुभ पाठक अधिवक्ता-102 बी ब्लॉक प्रकृति कार्पोरेट 18/2 वाय.एन. रोड, इंदौर एवं (3) श्री प्रवीण नेवास्कर अधिवक्ता-के.ऑफ. श्री के.एन. गुप्ता सीनियर एडवोकेट, सरदार आंगरे का बाड़ा, लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें'।

विज्ञापन क्रमांक 12/2023

संचालक

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल

चयन भवन, मेन रोड नं.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462011

म.प्र. माध्यम/110624/2023

R-48731

(पिछले पृष्ठ का शेष)

सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

और/या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोज़गार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-15862/48712/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता पंचकर्म (Lecturer Panchakarma) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
12/2023/21/06/2023	अंतिम तिथि 09.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	जमा करने की अंतिम तिथि 21.08.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता पंचकर्म (Lecturer Panchakarma) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 10.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 09.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता पंचकर्म (Lecturer Panchakarma) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 13.07.2023 से 11.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/ जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (पंचकर्म)

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता पंचकर्म (Lecturer Panchakarma)	1	1	2	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता पंचकर्म (Lecturer Panchakarma) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
	मुख्य भाग (87%)	1	1	2	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	प्रावधिक भाग (13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो **पद का विवरण**

01	पद का नाम	:	व्याख्याता पंचकर्म (Lecturer Panchakarma)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता :** **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (पंचकर्म)

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 09.08.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाऐंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्रहित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **(क) आयु सीमा:** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि** 01.01.2024

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू. एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	5 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II

आयु सीमा में छूट

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग

के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :

(1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-।।।

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्यूअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्र.	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/ विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/ कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/ स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्यूअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 21.08.2023 (शाम 6:00 बजे) तक** आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21.08.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 13.07.2023 से 11.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 09.08.2023** है। अंतिम तिथि को **दोपहर 12:00 बजे** के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :- दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ....आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग** हेतु व्याख्याता पंचकर्म (Lecturer Panchakarma) क्रमांक 12/2023 दिनांक 21/06/2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं...पुत्र/पुत्री श्री..............................निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/......................जिला.............................मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ....जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :-........................ हस्ताक्षर.........................

नाम.........................

रोल नंबर.........................

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(शेष पृष्ठ 27 पर)

पुलिस का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को शान्ति का टापू बनाने में पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे चौबीसों घंटे हमारे लिए कानून-व्यवस्था को बनाये रखने में जुटे रहते हैं। रात-दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिवार की चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के परिवार के लिए वर्ष 2013 में लागू की गई मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष 2019 के बाद से निरंतर जारी रखने की कार्रवाई नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। श्री चौहान द्वारा पुलिस महकमे को योजना को जारी रखने के लिए तत्काल कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश पर पुलिस विभाग ने तत्काल प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग से सैद्धांतिक सहमति के साथ मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया।

मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

- योजना में मध्यप्रदेश के समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी (भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर) एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के गंभीर बीमारियों के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये योजना के हितग्राहियों से सदस्यता ग्रहण करते समय प्रवेश शुल्क 100 रुपये (संपूर्ण सेवाकाल में एक बार) एवं 600 रुपये वार्षिक अंशदान प्राप्त कर मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना निधि का गठन किया गया है।
- मध्यप्रदेश शासन से भोपाल शहर के निर्धारित सीजीएचएस (सेन्ट्रल गवर्मेंट हेल्थ स्कीम) की दरों अनुसार उपचार करने के लिये मान्यता प्राप्त राज्य के अंदर 46 एवं राज्य के बाहर 9 कुल 55 निजी चिकित्सालयों से समन्वय स्थापित कर योजना में जोड़कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से आरक्षक स्तर के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा शासन के नियमानुसार आश्रित पारिवारिक सदस्यों के कैशलेस उपचार कराये जाने के लिये अनुबंध किया गया है।
- योजना में अब तक 26 हजार 709 पुलिस परिवार के सदस्य एवं उनके आश्रित गंभीर बीमारियों के बेहतर एवं जीवन रक्षा उपचार से लाभांवित हुए हैं।
- यह योजना पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे राज्य सेवा के समस्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का किया लोकार्पण

ग्वालियर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर में नवनिर्मित 1000 बिस्तर अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया।

नवनिर्मित अस्पताल से ग्वालियर अंचल को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित अस्पताल का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेने के साथ ही पैथोलॉजी एवं आयुष्मान कक्ष का निरीक्षण किया।

लोकतंत्र सेनानियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन

लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 25 हजार से बढ़कर 30 हजार रुपये होगी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करते हुये

भोपाल, आपातकाल में भी लोकतंत्र सेनानियों ने भारत माता का जयघोष किया। सत्ताधीशों ने अपने आपको सत्ता में बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटा, परन्तु लोकतंत्र सेनानियों ने बिना परिणामों की परवाह किए यातनाएं और कष्ट सहे। लोकतंत्र सेनानियों ने देश की आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष का सम्मान हमारा कर्तव्य और धर्म है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को प्रदान की जा रही 25 हजार रुपये की सम्मान निधि को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। जो लोकतंत्र सेनानी एक माह से कम अवधि के लिए बंदी रहे हैं, उनकी सम्मान निधि 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की जाएगी। दिवंगतों के परिवारों को दी जाने वाली निधि भी 5 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये की जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों को दिल्ली प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश भवन में ठहरने की सुविधा होगी। जिलों के विश्राम गृह और रेस्ट हाउस में वे 2 दिन तक 50 प्रतिशत शुल्क देकर रह सकेंगे। साथ ही सभी तरह की बीमारियों का सम्पूर्ण इलाज राज्य शासन द्वारा कराया जाएगा। शासकीय कार्यालयों में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, इसके लिए विशेष निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लोकतंत्र सेनानियों को राज्य शासन की ओर से ताम्रपत्र प्रदान किए गए थे, जिन्हें ताम्रपत्र मिलना शेष हैं उन्हें भी तत्काल ताम्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। लोकतंत्र सेनानी किसी भी तरह के कष्ट और परेशानी में अपने आपको अकेला न समझें, राज्य सरकार उनके साथ है।

श्री चौहान ने कहा कि आपातकाल में कई परिवार तबाह हुए। यह वह दौर था जब कोई अपील- कोई वकील- कोई दलील नहीं सुनी जाती थी। लोकतंत्र सेनानियों ने एक सिद्धांत, विचारधारा और संगठन के लिए यातनाएं सहीं, यह उस विचार का सम्मान था, जिसने लोकतंत्र को बचाया। आज इसी विचारधारा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की शान को बढ़ाया है।

सामान्य प्रशासन मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आपातकाल की स्थिति में लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष से बदलाव आया था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ही मीसाबंदियों को सम्मान देने की पहल की। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा ने कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवारों का मनोबल तोड़ने के लिए जो भी किया जा सकता था किया गया।

बहन-बेटियों का मान-सम्मान और शान कभी कम नहीं होने दूंगा - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का विदिशा में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में महिलाओं द्वारा सम्मान किया गया

विदिशा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना को बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान बताते हुए वचन दिया है कि वे प्रदेश की बहन-बेटियों का मान-सम्मान और शान कभी भी कम नहीं होने देंगे। उन्होंने 21 वर्ष की बहनों के भी आवेदन शीघ्र भरवाए जाने और बासौदा के उदयपुर मंदिर का कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले के गंजबासौदा में 150 बिस्तर के अस्पताल के भूमि-पूजन सहित 142 करोड़ 57 लाख रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद लाड़ली बहना सम्मेलन और मुख्यमंत्री भू-अधिकार पत्रों के वितरण कार्यक्रम में बहनों से संवाद किया।

श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने अखबारों में खबर पढ़ी है कि एक पति ने अपनी पत्नी को बेटियां होने पर दुख दिया। यह भेद-भाव ठीक नहीं है। बेटे और बेटियों को समान नजर से देखने, एक समान व्यवहार के लिए ही लाड़ली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया कि वे बेटे-बेटियों में भेद नहीं करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन-बेटियों के सशक्तिकरण के लिए ही उन्होंने स्थानीय निकाय में 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किए हैं। पुलिस में 30 प्रतिशत और अन्य नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। आज महिलाएं चूल्हे-चौके से बाहर निकल कर सत्ता और विकास के कार्य कर रही हैं।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब मकान के लिए बिना भूमि के नहीं रहेगा और हर आवासहीन को घर बनाने को जमीन दी जायेगी। कलेक्टर ने बताया कि विदिशा जिले में अब तक 2600 गरीबों को भू-अधिकार पत्र दिए गए हैं।

सर्वसुविधा संपन्न सीएम राइज विद्यालयों में दी जायेगी उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा

भोपाल, सीएम राइज विद्यालय प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य लक्ष्य अनुकरणीय रूप से बच्चों के सीखने की प्रक्रियाओं को निर्धारित करना, विद्यार्थियों की सीखने की निरंतरता और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच सहज जुड़ाव है। सीएम राइज स्कूल विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास का विजन एवं विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के मिशन के साथ साहसी, उत्कृष्ट तथा सभी के प्रति सम्मान और करुणा से युक्त विद्यार्थियों को गढ़ेगा।

हमारा मिशन विकास में सहायक, समावेशी तथा आनन्दमय विद्यालय का निर्माण करना है। हम 21वीं सदी के कौशल तथा एकीकृत समग्र शिक्षा को प्रोत्साहित कर अपने विद्यार्थियों को जिज्ञासु, रचनात्मक, कठिनाइयों से निपटने में सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रेरित करते हैं। हम विद्यार्थियों को उनके द्वारा चुने गए पथ पर आगे बढ़ाने, उनको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में समर्थ बनाने और परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अवसर तथा सहायता प्रदान करते हैं।

सीएम राइज स्कूलों में उच्च गुणवत्तायुक्त विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना के साथ स्मार्ट क्लास में शिक्षा दी जायेगी।

इन स्कूलों में पाठ्येत्तर गतिविधियों जैसे- संगीत, नृत्य, कला, खेल, व्यायाम एवं अन्य शिल्प के लिए आवश्यक उपकरण एवं सुसज्जित स्थान होंगे। विश्व-स्तरीय सर्वसुविधायुक्त भवन, किचन एवं कैफेटेरिया व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा, कौशल विकास शिक्षा, स्मार्ट एवं डिजिटल कक्षाएं, पूर्ण समृद्ध आधुनिक प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, कला-संगीत, खेलकूद आदि की व्यवस्था होगी।

पूरे प्रदेश में 9 हजार 95 सीएम राइज स्कूल बनाए जायेंगे। प्रथम चरण में प्रत्येक जिला एवं विकासखंड स्तर पर 369 स्कूल में अध्ययन कार्य प्रारंभ हो गया है। प्रथम चरण के सभी सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की पोस्टिंग की जा चुकी है। द्वितीय चरण में वर्ष 2031 तक 8 हजार 735 सीएम राइज स्कूल बनाये जाने की योजना है।

सीएम राइज स्कूलों में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों और सीखने की शैलियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सुरक्षित, आनंदमयी और समावेशी स्थान पर शिक्षा दी जाएगी, जो विद्यार्थियों को उत्कृष्ट नागरिक बनायेंगी।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

विकसित राज्यों की पंक्ति में अग्रणी राज्य है मध्यप्रदेश - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना जिले के बानमोर में एक औद्योगिक इकाई का शुभारंभ करते हुये

मुरैना, यह गर्व की बात है कि बानमोर का टायर विदेशों तक जाकर विदेशी मुद्रा से देश को आर्थिक रूप से और मजबूत बना रहा है। जेके टायर इंडस्ट्रीज के बानमोर प्लांट का ग्वालियर-चंबल संभाग सहित प्रदेश एवं देश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुरैना के औद्योगिक क्षेत्र बानमोर में जेके टायर इंडस्ट्रीज के 312 करोड़ रुपये की लागत के मेन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्षमता विस्तार के प्रथम चरण का उद्घाटन करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश विकसित राज्यों की पंक्ति में अग्रणी राज्य है, हमारी औद्योगिक विकास दर लगातार 24 प्रतिशत बनी हुई है । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल नीति, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुरक्षित वातावरण करवाने से प्रदेश देश में उद्योगों के निवेश का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक निवेश के अनुबंध हुए, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न उद्योगों का नियमित निवेश प्रदेश में आ रहा है और नवीन रोज़गार का सृजन हो रहा है।

श्री चौहान ने कहा कि हम प्रदेश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट एवं रोज़गार में वृद्धि के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना में युवाओं को विभिन्न उद्योगों में ट्रेनिंग दी जायेगी, विभिन्न ट्रेडों के दौरान उन्हें पात्रतानुसार 8 से 10 हजार रुपये का स्टायपेंड भी प्रदान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में हमने मध्यप्रदेश की इकोनॉमी को 550 बिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश एवं देश के विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योगों से नवीन रोज़गार का सृजन होता है, कराधान बढ़ता है जो प्रदेश और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। जेके टायर इंडस्ट्रीज ने ग्वालियर-चंबल संभाग के आर्थिक विकास एवं बड़ी संख्या में रोज़गार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 18 वर्षों में बीमारु राज्य के टैग को हटाकर आज प्रदेश विकसित राज्यों की पंक्ति में अग्रणी है। जेके टायर इंडस्ट्रीज ने प्रदेश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दिया है एवं देश-दुनिया में नाम बनाया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री द्वय श्री तोमर और श्री सिंधिया एवं जेके टायर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रघुपति सिंघानिया एवं श्री अंशुमन सिंघानिया के साथ प्लांट का भ्रमण किया।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लेकर युवाओं में उत्साह

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीखो कमाओ योजना को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राज्य शासन की मंशा उद्योग और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक शिक्षित युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ दिलवाने की है। इस योजना में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टायपेंड भी दिया जायेगा। मुख्यमंत्री जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में भोपाल में योजना का लाभ लेने के इच्छुक युवाओं से संवाद करेंगे।

श्री चौहान ने भोपाल स्थित समत्व भवन में सीखो कमाओ योजना के पोर्टल निर्माण के बाद युवाओं से संवाद और योजना के आगामी चरणों के बारे में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में खेल एवं युवक कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास श्री मनु श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जरूरतमंद बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप से दी जाये सहायता

भोपाल, आयुक्त महिला एवं बाल विकास डॉ. रामराव भोंसले ने सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक संघ के अध्यक्ष तथा सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्रबंध संचालकों को पत्र लिख कर जरूरमंद बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप के माध्यम से सहायता देने का आह्वान किया है।

डॉ. भोंसले ने कहा कि सभी बच्चों को पारिवारिक माहौल में अपने विकास करने के साथ ही खुशनुमा वातावरण में प्यार और सम्मान के साथ जिंदगी बिताने का अधिकार है। पारिवारिक माहौल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। कोविड महामारी के दौरान तथा अन्य कारणों से जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में आए बच्चों की सहायता के लिए सरकार के साथ ही समाज के जिम्मेदार नागरिक तथा संगठन आगे बढ़कर निजी स्पॉन्सरशिप के तहत बच्चों को वित्तीय, सामग्री, अधोसंरचना विकास के लिए सहायता करें। इससे बच्चों का परिवार में ही पालन-पोषण हो सकेगा और उन्हें परिस्थितिवश संस्थाओं में प्रवेशित न करना पड़ेगा अथवा संस्था में अंतिम विकल्प के रूप में प्रवेशित बच्चे का बेहतर व समग्र विकास हो सके।

प्रदेश में गत वर्ष निजी स्पॉन्सरशिप के तहत लगभग 5 हजार 469 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। संगठन के अंतर्गत कोई भी फर्म, औद्योगिक इकाई, व्यापारी, जरूरतमंद बच्चों की सहायता व्यक्तिगत अथवा सीएसआर के तहत करने के इच्छुक हो तो महिला-बाल विकास विभाग के स्थानीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। निजी स्पॉन्सरशिप के लिए राज्य स्तर पर किशोर न्याय निधि के खाते में भी सहायता राशि जमा की जा सकती है। बच्चों को प्रदान सहायता के संबंध में पारदर्शितापूर्ण अद्यतन जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

इच्छुक स्पॉन्सर किशोर न्याय निधि के बैंक अकाउंट नं. 40195484568, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहांगीराबाद, भोपाल IFSC कोड-SBIN0001178 पर जमा करा सकते हैं।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

मध्यप्रदेश में 33 सीएम राइज विद्यालयों के लिये 1335 करोड़ रुपये की स्वीकृति

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में 33 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के लिये अनुमानित लागत 1335 करोड़ 20 लाख रुपये में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 33 विद्यालयों के निर्माण के लिये डी.पी.आर. तैयार कर परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष 20 मार्च 2023 को प्रस्तुत किये गये। मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये अन्य निर्णय इस प्रकार हैं -

- मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये अटल गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी एवं विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को सब्सिडी देते हुए इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों में 24 हजार 196 करोड़ 47 लाख रुपये की सब्सिडी स्वीकृति दी गई।
- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 'मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना' चतुर्थ चरण को दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) के लिए 1700 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।
- योजना में सड़क निर्माण तथा अनुषांगिक कार्य, शहरी यातायात सुधार, नगरीय सौन्दर्यीकरण, सामाजिक एवं खेल अधोसंरचनाएं, उद्यान विकास सम्बन्धी कार्यों के साथ ही निकाय के कार्यालय भवन निर्माण/उन्नयन के कार्य किये जा सकेंगे। योजना का क्रियान्वयन विभागीय मार्गदर्शन में नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा खरगोन, धार, भिण्ड, बालाघाट, टीकमगढ़ तथा सीधी जिलों में 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 600 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि होगी।
- मंत्रिपरिषद ने भोज वेटलैंड भोपाल की 1097.11 हेक्टेयर भूमि जो वर्तमान में भोज वेटलैंड, प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आधिपत्य में है, में से बड़ा तालाब एवं उसके जल भराव क्षेत्र को छोड़कर और व्ही. आई.पी. रोड को 8 लेन करने हेतु नवीन एकरेखण में आने वाली भूमि को छोड़ कर शेष भूमि को संयुक्त सीमांकन के पश्चात पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया है।
- बैठक में यह भी निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश वृक्षों का परीक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 की धारा 4 में प्रावधान अनुसार उक्त भूमि के भारसाधक वन क्षेत्रपाल को वृक्ष अधिकारी नियुक्त किया जाये। भविष्य में अन्य वृक्षारोपण क्षेत्रों को हस्तांतरित करने की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य सचिव, संबंधित विभागों की आपसी सहमति से क्षेत्र हस्तांतरण करने के संबंध में निर्णय लेंगे।
- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों का आगमन होता है। शासन द्वारा प्रदेश के 55 नगरीय निकायों के 119 रैन बसेरा/आश्रय-स्थलों में इनके लिये अस्थाई आश्रय तथा दीनदयाल रसोई योजना के प्रथम चरण सात अप्रैल, 2017 से प्रदेश के 51 नगरीय निकायों के 56 रसोई केंद्रों में किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है।
- कोविड-19 महामारी के समय रसोई केंद्रों की महत्ता भी प्रदर्शित हुई। इसलिये 26 फरवरी, 2021 को रसोई योजना के द्वितीय चरण में 52 जिला मुख्यालयों तथा छह धार्मिक नगरों मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा एवं चित्रकूट में कुल 100 रसोई केंद्रों का संचालन आरंभ किया गया था। योजना में प्रत्येक जरूरतमंद को 10 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
- योजना में पूर्व में स्थापित 100 रसोई केंद्रों के अतिरिक्त, 20 नवीन स्थाई रसोई केंद्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थाई रसोई केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगमों तथा पीथमपुर एवं मण्डीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केंद्र, इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केंद्र खोले जाने एवं मात्र 5 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से रसोई में भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा केंद्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की 'प्राइस सपोर्ट स्कीम' में प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उपार्जन पर मंडी शुल्क की छूट के साथ में निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राइस सपोर्ट स्कीम में वर्ष 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूंग एवं ग्रीष्मकालीन उड़द पर भी निराश्रित शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा सीप-अम्बर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना फेस-2 लागत राशि 190 करोड़ 11 लाख रुपये सैंच्य क्षेत्र 13 हजार 457 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील के 24 ग्रामों की 13 हजार 457 हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में 19 अगस्त 2013 से संचालित मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की महत्ता को देखते हुए योजना को 31 मार्च, 2019 के पश्चात से निरंतर बनाये रखते हुए आगामी पांच वर्ष तक निरंतर संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

खर्राटे गहरी नींद नहीं सांस की रुकावट है, जो जानलेवा हो सकता है

भोपाल, नींद में खर्राटे आना सांस की रुकावट से होता है, जिसे ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया (ओ.एस.ए.) कहते हैं। यदि ओ.एस.ए. का उपचार नहीं किया गया तो परिणामस्वरूप हाइपरटेंशन हो सकता है, जिससे दिल की बीमारी, स्ट्रोक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर होता है।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक स्लीप एप्निया से भारत में करीब 25 प्रतिशत वयस्क पुरुष जूझ रहे हैं यानी हर चार में से एक। महिलाएं भी इससे बची नहीं हैं। डॉ. गोयल ने यह जानकारी भी दी कि सात प्रतिशत दुर्घटनाएं ड्रायवरों को नींद आ जाने के कारण होती हैं। अब विदेशों में ड्राइविंग लायसेन्स देने के पहले स्लीप एपनिया की जांच अनिवार्य रूप से की जाती है। यहां तक कि स्लीप एप्निया से प्रभावित रेल के ड्रायवर भी अक्सर सिग्नल मिस करके आगे बढ़ जाते हैं जिसके कारण गंभीर रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

इसके उपचार में वजन कम करना और 'कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर' शामिल है, जो मास्क के जरिए दिया जाता है। एम्स भोपाल में स्लीप एप्निया का इलाज और इस रोग पर शोध किया जा रहा है। यहां अत्याधुनिक स्लीप लैब है जहां उत्कृष्ट उपचार पूरी तरह मुफ्त किया जाता है। डॉ. गोयल ने यह भी कहा कि इस बीमारी के इलाज को चिकित्सा बीमा में अब तक शामिल नहीं किया गया है। इस बीमारी की एक महिला मरीज प्रेम बाई ने इलाज के बारे मे जानकारी देते हुए बताया की एम्स में हुए इलाज के परिणामस्वरुप वह लगभग सामान्य जिंदगी जी रही है वरना वो तो वेंटीलेटर पर थी।

'ग्रामीण समुदाय में यह धारणा व्यापक है कि वे मेहनतकश लोग हैं इसलिए उन्हें हायपरटेंशन जैसी बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन यह रोग नगरीय और ग्रामीण दोनों तरह के लोगों में समान रूप से व्याप्त है। जरूरी है कि नागरिक प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गई स्वास्थ्य अधोसंरचना का लाभ उठाएं। समय रहते रोग की जांच पड़ताल से इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है।' उपरोक्त जानकारी भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी ने नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेन्टस् एण्ड एनवायरनमेंट और कंज्यूमर वाईस द्वारा 'गैर-संक्रामक रोग के बढ़ते बोझ और उच्च रक्तचाप की रोकथाम और देखभाल' विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य अधोसंरचना की जानकारी भी दी।

कंज्यूमर वॉइस के सीईओ श्री अशीम सान्याल ने कहा कि संस्था का मिशन हाइपरटेंशन के बारे में नगरिकों के बीच जागरुकता फैलाना है, जिससे कि लोग समय रहते अपनी जांच कराएं और अगर बीमारी पाई जाती है तो उसका इलाज भी कराएं। उन्होंने कहा कि वे स्लीप एप्निया को चिकित्सा बीमा में शामिल करने के लिए विभिन्न मंचों पर आवाज़ उठायेंगे ताकि इस बीमारी के मरीजों को बीमा सुविधा का लाभ मिल सके।

कार्यशाला के प्रारंभ में एनसीएचएसई के महानिदेशक डॉ. प्रदीप नंदी ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया कि हाइपरटेंशन एक गंभीर और व्यापक रोग है लेकिन इसके बारे में जनसामान्य में जानकारी बहुत कम है। कार्यशाला में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए जिनमें से कुछ ने डॉ. तिवारी और डॉ. गोयल से अपने जिज्ञासायें व्यक्त कीं जिनके उत्तर डाक्टरों ने दिए।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का ग्वालियर में बनेगा स्मारक - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में पाल, बघेल और धनगर समाज के सम्मेलन का शुभारंभ करते हुये

ग्वालियर, हम सब लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के वंशज हैं। उनके लोक-कल्याण के लिए किये गये कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ग्वालियर में माँ अहिल्याबाई होल्कर का भव्य स्मारक बनाया जायेगा। बेहटा में बन रहे बस स्टैण्ड का नाम अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखा जायेगा। साथ ही बघेल और धनगर समाज के कल्याण के लिये प्रदेश में एक बोर्ड गठित किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। लोकमाता अहिल्याबाई के जन्म-दिवस पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र बेहटा में पाल, बघेल और धनगर समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि समाज के कल्याण के लिये कोई कोर-कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से निरंतर कार्य किया जाता रहेगा। बहनों के सशक्तिकरण और उनकी जिंदगी बदलने के लिये मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लाड़ली बहनों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिये मेधावी छात्रवृत्ति के साथ पाल, बघेल, धनगर समाज के छात्र-छात्राओं को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिये भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू होने से गरीब समाज के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी अहिल्याबाई के सुशासन के कार्यों को देश-दुनिया में याद किया जाता है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे देश में त्याग, तपस्या, बलिदान, न्याय और कर्म की पूजा होती है। देश देवी अहिल्याबाई होल्कर के न्याय और बलिदान को कभी भुला नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में बेहटा तिराहे पर माँ अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित हो जाने से यह तिराहा अब अहिल्या तीर्थ बन गया है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहिल्याबाई होल्कर के जनहित कल्याण के कार्य एवं सेवाओं का उल्लेख कर कहा कि उन्होंने पूरे विश्व को मानव-कल्याण का संदेश दिया। माता अहिल्याबाई ने रणभूमि में नेतृत्व करते हुए अत्याचारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश में आर्थिक प्रगति और शक्ति को विकसित करने का काम किया। देश के विभिन्न स्थानों पर मंदिर और धर्मशालाओं का भी निर्माण कराया।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

AICTE एवं PCI से अनुमोदित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश

शैक्षणिक सत्र 2023-24

पाठ्यक्रम के नाम	प्रथम चरण पंजीयन की तिथियां
बी.ई./बी.टेक.	15 जून 2023 से 23 जुलाई 2023 तक
डिप्लोमा इंजीनियरिंग	15 जून 2023 से 16 जुलाई 2023 तक
एम.ओ.एम/बी.सी.सी./फिल्म.टेक., एकलव्य एवं अम्बेडकर योजना	15 जून 2023 से 05 जुलाई 2023 तक
बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी, फार्म.डी., फार्म.डी. (पी.बी.),	15 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 तक
एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए.	30 जून 2023 से 27 जुलाई 2023 तक
बी.डिजाईन, बी.एच.एम.सी.टी. एकीकृत-एमबीए/एमसीए	01 जुलाई 2023 से 19 जुलाई 2023 तक
एम.टेक. एवं एम.फार्मेसी	01 जुलाई 2023 से 26 जुलाई 2023 तक

- प्रवेश का अवसर प्राप्त करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग की अधिकृत वेबसाईट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों की लिंक पर पंजीयन की कार्यवाही ऑनलाईन माध्यम से कर सकते है।
- पंजीकृत अभ्यर्थी सत्यापन की मोबाईल पर प्राप्त सूचना उपरांत संस्थाओं के ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम चयन की कार्यवाही पूर्ण कर काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते है।
- संस्था/ब्रांच की उपलब्ध प्रवेश क्षमता (सीटों) का अवलोकन काउंसलिंग की वेबसाईट पर लिंक "संस्था की प्रवेश क्षमता" पर किया जा सकता है।
- काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी विस्तृत समय-सारणी, प्रवेश नियम, मार्ग दर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची इत्यादि हेतु अधिकृत वेबसाईट dte.mponline.gov.in पर विजिट करें।

प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अर्हता, सहायता केन्द्रों की सूची, पाठ्यक्रमवार संस्थाओं की सूची, प्रवेश के माध्यम, प्रमुख तिथियां वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
शुल्क संबंधी जानकारीयां वेबसाइट afrcmp.org पर उपलब्ध है।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें: 0755-2660441, 0755-6720205

R-48727/2023 अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश M.P. Madhyam/110600/2023

रवि सिन्हा

रॉ के नये चीफ बने

छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को खुफिया एजेंसी 'रॉ' का नया चीफ नियुक्त किया गया है। मौजूदा रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल 30 जून को खत्म हुआ है। रवि सिन्हा का कार्यकाल दो साल का होगा।

कटरमैन याट पर

लहरों का नहीं होता असर

लक्जरी यॉट कटरमैन पर लहरों का किसी भी तरह का असर नहीं होता है। इसे 3,080 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। कटरमैन का मतलब है - समुद्र में तैरने वाला लग्जरी बोट। इसमें 4 विशाल पंख लगे हैं। 80 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े कटरमैन का वजन 5 हजार टन है। लंदन की एंडी वॉ यॉट कंपनी ने इसे बनाया है।

एस. जानकीरमन

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने

केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति मामलों की समिति ने एस. जानकीरमन को 3 साल के लिये आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। एसबीआई के एमडी जानकीरमन ने अपना कार्यभार 22 जून को संभाल लिया। उन्होंने महेश कुमार जैन की जगह ली है।

न्यूजीलैंड की

पूर्व प्रधानमंत्री लिख रहीं किताब

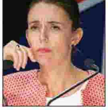

न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंदा अर्डर्न किताब लिखने जा रही हैं। अपने देश में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री रहीं अर्डर्न ने कहा कि उनकी किताब लीडरशिप पर होगी। अगले माह 43 वर्ष की होने वाली अर्डर्न ने कहा कि वह किताब में किसी भी तरह की विवादित बात नहीं लिखेंगी।

पनडुब्बी टाइटन से

टाइटैनिक का मलबा देखने गए सभी लोगों की मृत्यु

मशहूर जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गहरे समुद्र में पनडुब्बी टाइटन से गए 5 लोगों की मृत्यु और पनडुब्बी के नष्ट हो जाने की जानकारी आयी है। टाइटैनिक देखने के लिए पनडुब्बी के जरिए समुद्र में उतरे इन लोगों के लिये चलाये जा रहे विशाल अभियान के बाद यह जानकारी आई है। यह पनडुब्बी 1912 में पहली ही समुद्री यात्रा में बर्फ की विशाल चट्टान से टकराकर डूबने वाले टाइटैनिक के मलबे को दिखाने का काम करती है। पनडुब्बी में ब्रिटेन के अरबपति हाशिम हार्डिंग, व्यापारी शहजादा दाऊद, सुलेमान, फ्रांसीसी समुद्री विज्ञानी हैनरी नार्जियोलेट और विशेषज्ञ स्टॉकटन रश मौजूद थे।

अमित अग्रवाल

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ बने

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमित अग्रवाल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का पद संभाल लिया है। 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी अग्रवाल यूआईडीएआई में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं।

प्रिशा निकजू

पांच वर्ष की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचीं

प्रिशा निकजू ने अपने पिता पर्वतारोही लोकेश निकजू के साथ 5364 मीटर (17598 फीट) की ऊंचाई वाले बेस कैंप तक पहुंचकर एवरेस्ट की चढ़ाई का नया रिकॉर्ड कायम किया है। वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बेस कैंप पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। यह उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रिशा ने 12 दिन में 130 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी।

कनाडा में

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर न्यूज कंटेंट बंद करेगी मेटा

कनाडा में ऑनलाइन समाचार अधिनियम (बिल सी-18) प्रभावी होने से पहले मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर न्यूज कंटेंट बंद करने जा रही है। मेटा के अनुसार न्यूज पब्लिशर और ब्रॉडकास्टर सहित समाचार आउटलेट्स के कंटेंट अब कनाडा में उपलब्ध नहीं होंगे। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों मेटा ने कहा था कि अगर बिल सी-18 कानून में परिवर्तित होता है तो वह एप से न्यूज कंटेंट हटा देगा।

निवृत्ति राय

इंटेल इंडिया की हेड ने दिया इस्तीफा

फरवरी 1994 से इंटेल इंडिया से जुड़ी और वाइस प्रेसिडेंट रहीं निवृत्ति राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे एक डिजाइनर इंजीनियर के रूप में इंटेल (भारत) से जुड़ी थीं। वे कंपनी का साथ 29 साल बाद छोड़ रही हैं। सितंबर 2005 में वह चिप सेट इंजीनियरिंग और इंटेलेक्चुएल प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंट के सीनियर डायरेक्टर बन कर बेंगलुरु में रहीं।

परम विक्रम सुपर कम्प्यूटर

1000 जीबी रैम के कम्प्यूटर ने काम शुरू किया

इसरो से जुड़े फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद (पीआरएल-ए) में 'परम विक्रम' सुपर कम्प्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया है। यह एक सेकंड में एक क्वॉड्रिलियन (अंक-1 के पीछे 15 शून्य) की गणना करने में सक्षम है। इसरो अध्यक्ष पी. सोमनाथ ने 'परम विक्रम' का उद्घाटन किया। अंतरिक्ष मिशन के संस्थापक वैज्ञानिक विक्रम सारा भाई पर यह नामकरण हुआ।

जर्मनी में

खुदाई के दौरान 3 हजार साल पुरानी तलवार निकली

जर्मनी के नोर्डलिंगेन में कांसे की बनी 3 हजार साल पुरानी तलवार मिली है। इस तलवार की चमक अब भी बरकरार है। तलवार ऐसी कब्र में थी जिसमें एक पुरुष, एक महिला और युवक को दफनाया गया था। इसमें कांसे की कुछ अन्य वस्तुओं को भी दफनाया गया था।

नंदन नीलेकणि

आईआईटी बॉम्बे को 315 करोड़ रुपये दान में दिये

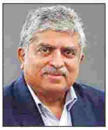

इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि ने आईआईटी बॉम्बे को 315 करोड़ रुपये डोनेट किये हैं। उन्होंने यह दान इंस्टीट्यूट से पासआउट होने के 50 साल पूरे होने पर किया। नीलेकणि ने इससे पहले भी आईआईटी बॉम्बे को 85 करोड़ रुपये दान में दिये थे। दोनों दान राशि का सामयोजन करें तो 400 करोड़ रुपये होती है। यह किसी भी संस्थान (देश में) के पूर्व छात्र द्वारा दी गई अब तक की सबसे बड़ी दान राशि है।

अंतरिक्ष यान ने

जुपिटर पर हरी लाइट कैप्चर की

नासा के अंतरिक्ष यान जूनो ने जुपिटर ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर हरे रंग की लाइट कैप्चर की है। फोटो 20 दिसंबर 2020 को ली थी, लेकिन इसे हाल ही में जारी किया। फोटो लेने के समय जूनो जुपिटर के बादलों के शीर्ष से लगभग 32 हजार किलोमीटर ऊपर था। यह 78 डिग्री के अक्षांश पर ग्रह के करीब आया था। नासा ने कहा कि जुपिटर पर बिजली चमकने की संभावना अमोनिया-पानी के घोल वाले बादलों में होती है।

क्रिश्चियन रॉबर्टो ने

हाई हील्स पहनकर सौ मीटर दौड़ का रिकॉर्ड बनाया

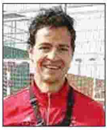

हाई हील्स पहनकर स्पेन के क्रिश्चियन रॉबर्टो लोपेज रोड्रिज ने 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड बना दिया। स्पेन के क्रिश्चियन ने महिलाओं को पीछे छोड़ इस दौड़ में 2.76 इंच की स्टिलेटो हील्स पहन कर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने महज 12.85 सेकेंड में दौड़ पूरी की। उन्होंने जर्मनी के आंद्रे का 2019 में 14.2 सेकेंड का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

पेरिस में

फैशन की कैटवाक

फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रस्तुत डॉयर मेन्सवियर स्प्रिंग/समर 2024 फैशन कलेक्शन के लिए मॉडल्स अपने परिधानों का प्रदर्शन करते रहे। एफिल टावर के पीछे एक सैन्य विद्यालय में आयोजित इस फैशन शो में मॉडल खास तौर पर तैयार किये गये। ग्रे बॉक्स से निकलकर कैटवॉक के लिये मंच पर आये।

स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन में

भारत को स्पेशल स्लॉट की पेशकश

मिस्र ने घोषणा की है कि वह स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन के भीतर भारत के लिये एक स्पेशल स्लॉट की पेशकश करेगा। मिस्र ने यह घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मिस्र दौरे के दौरान की। 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाने वाला यह पहला मिस्र दौरा था। मिस्र अपने स्वेज नहर जोन को भारतीय व्यवसायों के लिये एक प्रमुख निवेश संभावना के रूप में देख रहा है।

वीनर जितुंग

320 साल पुराने अखबार का दैनिक प्रकाशन बंद

ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से निकलने वाले 320 साल पुराने दैनिक समाचार पत्र वीनर जितुंग ने अपना दैनिक प्रकाशन बंद कर दिया है। यह दुनिया के सबसे पुराने दैनिक समाचार पत्रों में शुमार था। यह समाचार पत्र सबसे पहले 'वियनेरिसचेस डायरियम' नाम से 8 अगस्त 1703 को प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन काव्यात्मक भाषा या भाषणबाजी के बिना लोगों तक शालीन ढंग से समाचार पहुंचाने के लिए किया गया था। यह अखबार ऑनलाइन माध्यम से अपना संचालन जारी रखेगा और इसका एक मासिक संस्करण भी प्रकाशित करने की योजना है।

रोहित जावा

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ बने

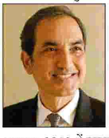

रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। जावा ने संजीव मेहता की जगह ली है, जो कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद सेवानिवृत्त हो गए। मेहता ने अक्टूबर 2013 में HUL के एमडी और सीईओ का पद संभाला था। इस भूमिका से पहले जावा, लंदन में यूनिलीवर के चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे। उन्होंने 1988 में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में एचयूएल के साथ अपना कॅरियर शुरू किया था।

स्मृति शेष

अमूल गर्ल के रचनाकार सिल्वेस्टर का निधन

अमूल गर्ल की रचना करने वाले भारतीय विज्ञापन के दिग्गज सिल्वेस्टर दाकुन्हा का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1966 में विज्ञापन एजेंसी एएसपी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सिल्वेस्टर और उनके कला निर्देशक यूस्टेस फर्नांडीस ने प्रतिष्ठित अमूल गर्ल अभियान को डिजाइन किया था। इसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था।

जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के स्टार राजीव मिश्रा का निधन

इंग्लैंड के मिल्टन कीन्ज में 1997 में आयोजित जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत के प्रमुख स्ट्राइकर रहे राजीव मिश्रा का 46 साल की उम्र में निधन हो गया। 1997 में राजीव ने जूनियर विश्वकप में भारत को रजत पदक दिलवाया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

कार्यालय कलेक्टर, पश्चिम निमाड़, खरगोन (म.प्र.)
(जनजातीय कार्य विभाग)

actw.khg@mp.gov.in

क्रमांक/7299/जजाकावि/निर्माण/2023 खरगोन, दिनांक : 16.06.2023

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-2/2023-24

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ई-टेण्डरिंग क्रमांक 2023_TAD_284766, 2023_TAD_284767, 2023_TAD_284769, 2023_TAD_284770, 2023_TAD_284771, 2023_TAD_284773, 2023_TAD_284774, 2023_TAD_284776, 2023_TAD_284779, 2023_TAD_284781, के कार्य हेतु ऑनलाइन निविदायें लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीयकृत प्रणाली में समतुल्य/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से कार्यो हेतु प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग **भोपाल द्वारा जारी दिनांक 15.09.2022** अनुसूची (निविदा सूचना जारी होने तक किये गये संशोधनों सहित) के आधार पर सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, खरगोन के कार्यालय में निर्धारित, निविदा समय सारणी (Key Dates) अनुसार आमंत्रित की जाती है।

- ❖ उक्त निविदा में 10 ग्रुप बनाये जाकर कुल 10 कार्य है, जिसकी लागत राशि रु. 52.96 लाख है। जिसमें एक ग्रुप के कार्य की अधिकतम लागत राशि रु. 8.65 लाख है।
- ❖ कार्य संबंधी विस्तृत विवरण एवं निविदा की शर्ते आदि वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** या सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, खरगोन के कार्यालय में देखी जा सकती है।
- ❖ उक्त निविदाओं को वेबसाइट पर ऑनलाइन निविदा प्रपत्र (Key Dates) वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** के माध्यम से क्रय किया जावेगा।
- ❖ निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 05.07.2023** समय सायं 5.30 बजे निर्धारित है।
- ❖ निविदा प्रपत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05.07.2023 समय 5.30 बजे तक निर्धारित है।
- ❖ निविदा में यदि किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकेगा। पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- ❖ कार्यो के देयकों का भुगतान शासन से उपलब्ध आवंटन अनुसार किया जावेगा। निविदा में अंकित कार्य की संख्या को कम या ज्यादा करने हेतु कार्यालय का पूर्णतः अधिकार रहेगा।
- ❖ निविदा की विस्तृत समस्त शर्तें Appendix 2.10 Tender Document अनुसार रहेगी।
- ❖ समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें। शीघ्रताशीघ्र बिड जमा करें। वेबसाइट में किसी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- ❖ जीएसटी एवं अन्य कटोत्रा शासन नियमानुसार होगा।

सहायक आयुक्त

जी-15698/48709/2023 **जनजातीय कार्य विभाग, खरगोन**

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल-462004
विज्ञापन में संशोधन

क्रमांक एफ ए 6-17/2015/1/पांच भोपाल, दिनांक : 27.06.2023

''म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में स्थाई लेखा सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदनों के आमंत्रण हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक एफ ए 6-17/2015/1/पांच दिनांक 08.06.2023 में संशोधन''

म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत म.प्र. वेट अधिनियम 2002 के तहत गठित अपील बोर्ड में एक स्थाई लेखा सदस्य की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण के लिए जारी विज्ञापन दिनांक 08.06.2023 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :–

1. उक्त विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा कम से कम 10 वर्षों तक विक्रय कर/वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर के लेखाकर्म का व्यवसाय किये जाने के प्रमाण स्वरूप ''आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र'' के स्थान पर ''स्वतः सत्यापित घोषणा-पत्र दिया जावेगा''
2. आवेदन की **अंतिम तिथि 27.06.2023** के स्थान पर **दिनांक 05.07.2023** होगी।

प्रमुख सचिव

जी-15754/48706/2023 **म.प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सरदारपुर जिला धार (म.प्र.)

दूरभाष : 07296-245865, ई-मेल : eephedsardha@mp.gov.in

नि.सू.क्र. 12/2023-24 सरदारपुर, दिनांक : 27.06.2023

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्यो हेतु ऑनलाइन निविदाएं ई-टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत आमंत्रित किये जाने हेतु विभागीय इंटरनेट साइट पोर्टल **https://www.mptenders.gov.in/** खंड सरदारपुर में जल जीवन मिशन अंतर्गत खंड सरदारपुर के अंतर्गत विभिन्न विकासखंडों की रेट्रोफिटिंग आधारित नलजल योजना की ड्राइंग डिजाइन अनुसार आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी मय सम्पवेल एवं पंपहाउस आर.सी.सी. सेनेटरी कुंआ, स्टील स्ट्रक्चर पर एच.डी.पी.ई. 5 मीटर उंचाई टैंक सहित निर्माण एवं मुख्य पाइप लाइन, जल वितरण नलिकाएं पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन, 11 केवी इलेक्ट्रिक पावर लाइन एक्सटेंशन कनेक्शन समस्त सामग्री एवं मजदूरी सहित कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया संपादित की गई है :–

सिस्टम टेण्डर क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत रु. लाख में	धरोहर राशि रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. में	ठेकेदारों की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2023_PHED_287200_1	सरदारपुर	173.18	1,73,180/-	12500/-	म.प्र. लोक निर्माण विभाग, भोपाल में केन्द्रीयकृत प्रणाली अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन	06 माह वर्षाकाल सहित पूर्ण कर 90 दिनों का सफल परीक्षण
2023_PHED_287201_1	सरदारपुर	167.46	1,67,460/-	12500/-		
2023_PHED_287205_1	सरदारपुर	182.42	1,82,420/-	12500/-		
2023_PHED_287206_1	सरदारपुर	150.92	1,50,920/-	12500/-		
2023_PHED_287207_1	सरदारपुर	155.03	1,55,030/-	12500/-		
2023_PHED_287208_1	सरदारपुर	167.07	1,67,070/-	12500/-		
2023_PHED_287211_1	सरदारपुर	189.26	1,89,260/-	12500/-		

ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि : 14.07.2023 17.30 बजे
ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि : **14.07.2023 17.30 बजे**
ऑनलाइन निविदा दर खोलने की तिथि : 17.07.2023 11.00 बजे

नोट :– निविदा प्रपत्र सिर्फ उपरोक्त इंटरनेट साइट पर ऑनलाइन पर कैश कार्ड, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग अकाउण्ट एवं आय.जी. जेड केश कार्ड के माध्यम से क्रय किये जा सकते है। विस्तृत निविदायें एवं अन्य विवरण उपरोक्त लिखित पोर्टल पर देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री (प्रोक्योरमेंट)

जी-15760/48707/2023 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड सरदारपुर जिला-धार (म.प्र.)**

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण भोपाल संभाग भोपाल

(शेड क्रमांक-1 पुराना सचिवालय, कमिश्नर कार्यालय के पीछे)

E-mail : pswbho@mp.nic.in

क्रमांक/1317/डी.डी.आर.सी./2023-24 भोपाल, दिनांक : 19.06.2023

विज्ञापन

कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/डी.डी.आर.सी./2023-24 दिनांक 19.5.2023 द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान के लिये जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र भोपाल के संचालन, मानदेय पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रसारित विज्ञापन निर्धारित प्रारूप में आवेदन-फार्म दिनांक 07.06.2023 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकाशित किया गया था। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से वर्ष 2023 में प्रसारित आदेश और परिपत्र, संकलन (नवीन गाइड लाइन) के आधार पर, वरिष्ठालय स्तर से चर्चा उपरान्त दिये गये निर्देशानुसार बिन्दु क्रमांक (8) पर दर्शित विशेष शिक्षक (मेंटल रिटार्डेशन/आटिज्म/सेरेब्रल पॉल्सी) एवं (10) पर दर्शित फील्ड/पब्लिसिटी असिस्टेंट, इस प्रकार इन दोनों पदों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

संभागीय संयुक्त संचालक

जी-15649/48705/2023 **सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण भोपाल संभाग भोपाल**

(पृष्ठ 22 का शेष)

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशें जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **''रोज़गार और निर्माण''** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।
(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।
(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-15861/48710/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता रोग निदान (Lecturer rog nidan) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 19/2023/27/06/2023

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता रोग निदान (Lecturer rog nidan) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 04.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता रोग निदान (Lecturer rog nidan) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा “Payment Done” स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (रोग निदान एवं विकृति विज्ञान/छाया एवं विकिरण विज्ञान)

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से 8, **मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता रोग निदान (Lecturer rog nidan)	1	1	2	2	0	6	0	0	1	1	0	0	0	1	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता रोग निदान (Lecturer rog nidan) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
मुख्य भाग (87%)		1	1	2	2	0	6	0	0	1	1	0	0	0	1	0
प्रावधिक भाग (13%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	व्याख्याता रोग निदान (Lecturer rog nidan)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (रोग निदान एवं विकृति विज्ञान/छाया एवं विकिरण विज्ञान)

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 03.09.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **(क) आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि :-** 01.01.2024

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	5 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट-IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में** प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II

आयु सीमा में छूट

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। **तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहनस्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट - III

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http:\\www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अत: आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्र.	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वाछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http:\\www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) तक** आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-

टीप :- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 03.09.2023** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http:\\www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं .... आयोग के मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता रोग निदान (Lecturer rog nidan) **क्रमांक 19/2023 दिनांक 27/06/2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं.................................पुत्र/पुत्री/श्री..............................निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/........................ जिला ...., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं .... जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

रोल नंबर ....

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता कायचिकित्सा (Lecturer kayachikitsa) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 17/2023/27/06/2023

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता कायचिकित्सा (Lecturer kayachikitsa) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 04.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता कायचिकित्सा (Lecturer kayachikitsa) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता हैं तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

6. अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ड़) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. अनर्हताएं :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में):-

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र** तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. यात्रा व्यय का भुगतान :-

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ड़) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-15866/48717/2023

(पिछले पृष्ठ का शेष)

E. पात्रता :-

1. **शैक्षणिक अर्हता -**

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (कायचिकित्सा/मानसरोग/रसायन एवं बाजीकरण)

2. **रोज़गार पंजीयन -**

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम / निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से 6, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता कायचिकित्सा (Lecturer kaya-chikitsa)	2	3	4	2	0	11	1	1	1	1	0	0	1	0	0

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता कायचिकित्सा (Lecturer kayachikitsa) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -

मुख्य भाग (87%)	2	3	4	2	0	11	1	1	1	1	0	0	1	0	0
प्रावधिक भाग (13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो पद का विवरण

01	**पद का नाम**	:	**व्याख्याता कायचिकित्सा (Lecturer kayachikitsa)**
	विभाग का नाम	:	**आयुष विभाग**
	श्रेणी	:	राजपत्रित **(द्वितीय श्रेणी)**
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।

3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (कायचिकित्सा/मानसरोग/ रसायन एवं बाजीकरण)

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड / पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/ पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हैं तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: (क) आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि 01.01.2024**

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा । अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग / प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु.जाति, अन्य, पिछडा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी । साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा । अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे ।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा । अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा । लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे ।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा ।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है ।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें ।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट -III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II
आयु सीमा में छूट

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके है। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।**

परिशिष्ट - III
अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होगें । यदि अभिलेखों की जाँच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीद्वारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी । उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा ।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी । उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा ।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी ।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें ।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगें, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते है तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्व किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा ।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा । अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी ।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे है या होने वाले हो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्व किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009

द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्यूअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।

10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरूष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे । अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।

12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्रमांक	अभिलेख		निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क)	माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख)	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग)	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास / स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल निवासी/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल निवासी/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष / वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवकों होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विभाग को सूचना अभिलेख		जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्यूअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीद्वारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in **2. mppsc.mp.gov.in**

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा । **अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।**

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12: बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। **ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/ पुरुष)/ दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।**

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. **परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रुपये 250/-	**रुपये 500/-**

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नही करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मैट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

---

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता कायचिकित्सा (Lecturer kayachikitsa) क्रमांक **17/2023 दिनांक 27/06/2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मै निम्नानुसार घोषणा करता हूँ

1. मै -------------------- पुत्र/पुत्री श्री ---------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/------------------ जिला ------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मै ---------------- जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर----------------------

नाम--------------------------

रोल नंबर--------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वाछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हो या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

और/ या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में):-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हों जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-15859/48715/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (Lecturer prasuti tantra evam stri rog) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
16/2023/27.06.2023	03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	13.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (Lecturer prasuti tantra evam stri rog) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 04.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (Lecturer prasuti tantra evam stri rog) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र मे उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रु. 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/ जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/ वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. **शैक्षणिक अर्हता -**

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

   1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

   2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।

   3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

   उपाधि का नाम - BAMS एवं MD/MS (प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग)

2. **रोज़गार पंजीयन -**

   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/ दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती है। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

रिक्त पदों का विवरण तथा अर्हताएं

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (Lecturer prasuti tantra evam stri rog)	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (Lecturer prasuti tantra evam stri rog) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
मुख्य भाग (87%)		0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्राविधिक भाग (13%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	**व्याख्याता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (Lecturer prasuti tantra evam stri rog)**
	विभाग का नाम	:	**आयुष विभाग**
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता** : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।

3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्दीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD/MS (प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग)

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप -

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **(क) आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो.

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि** 01.01.2024

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट IV का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट -III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट -II

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। **तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को

प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) **परिशिष्ट-1** (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट -।।।

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/ दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्रमांक	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in
2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/ दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/ दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (Lecturer prasuti tantra evam stri rog) क्रमांक 16/2023 दिनांक 27.06.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ------------------पुत्र/पुत्री श्री------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/-------------जिला ---------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मैं ----------------जाति का/ की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर ----------------
नाम --------------------
रोल नंबर ----------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग
सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 10/मु.अ. (सेतु परिक्षेत्र)/वर्ष 2023-24 **भोपाल, दिनांक : 16.06.2023**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. बालाघाट जिले के अंतर्गत बालाघाट नैनपुर मार्ग बालाघाट कटंगी सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1045/2-3 पर लेवल क्रॉसिंग क्रमांक-बी.के.-2 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।					
2023_PWDRB_284310_1	बालाघाट	पुल कार्य	द्वितीय	3888.38	केवल ऑनलाइन
क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. मुरैना जिले में तरसमा गढ़ी मार्ग में तरसमा गांव के पास क्वारी नदी एवं आसन नदी के संगम के पास जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।					
2023_PWDRB_284311_1	मुरैना	पुल कार्य	प्रथम	2431.39	केवल ऑनलाइन
क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. मंदसौर जिले के भवानी मंडी भेसौदा मंडी मार्ग के समपार क्रमांक-65-ई के कि.मी. 821/19-21 पर इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग कार्य सहित रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य					
2023_PWDRB_284313_1	मंदसौर	पुल कार्य	द्वितीय	2278.79	केवल ऑनलाइन
क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. बैतूल जिले में इटारसी-नागपुर रेलखण्ड के क्रॉसिंग क्रमांक-265 कि.मी. 897/42-892/02 में मुलताई बोरदेही मार्ग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।					
2023_PWDRB_284314_1	बैतूल	पुल कार्य	प्रथम	2043.60	केवल ऑनलाइन
क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. मुरैना जिले में छुलावद से मोदनी (सामंत) मार्ग में क्वारी नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।					
2023_PWDRB_284315_1	मुरैना	पुल कार्य	प्रथम	2040.08	केवल ऑनलाइन
क्र. एवं कार्य का नाम :– 6. मुरैना जिले में अहरोली गांव में रपटे के पास क्वारी नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।					
2023_PWDRB_284316_1	मुरैना	पुल कार्य	प्रथम	1945.78	केवल ऑनलाइन
क्र. एवं कार्य का नाम :– 7. मंदसौर जिले के (सुवासरा गुराडिया विजय मार्ग पर नागदा कोटा रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 772/20-22) पर रेल्वे समपार क्रमांक-40 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य।					
2023_PWDRB_284317_1	मंदसौर	पुल कार्य	द्वितीय	1774.24	केवल ऑनलाइन
क्र. एवं कार्य का नाम :– 8. जबलपुर जिले में घाट सिमरिया अगरिया प्रतापपुर मझगांव रोड पर बरने नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।					
2023_PWDRB_284319_1	जबलपुर	पुल कार्य	प्रथम	1463.38	केवल ऑनलाइन
क्र. एवं कार्य का नाम :– 9. रीवा जिले के बरहा पटना मार्ग के कि.मी. 1/4 में बीहर नदी (नावघाट) पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।					
2023_PWDRB_284320_1	रीवा	पुल कार्य	षष्ठः	947.69	केवल ऑनलाइन
क्र. एवं कार्य का नाम :–10. मंदसौर जिले के बरखेड़ा लोया के बासगोन मार्ग पर अंसार नदी पर एच.टी./एल.टी. लाईन विद्युत पोल शिफ्टिंग हॉय रेन्जिंग कार्य पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।					
2023_PWDRB_284321_1	मंदसौर	पुल कार्य	द्वितीय	679.60	केवल ऑनलाइन
क्र. एवं कार्य का नाम :– 11. सीहोर जिले के ग्राम जमोनिया कलां से बालागांव मार्ग पर सीप नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।					
2023_PWDRB_284322_1	सीहोर	पुल कार्य	प्रथम	508.94	केवल ऑनलाइन
कुल योग				**20001.87**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 07.07.2023 (17.30) बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल

जी-15509/48702/2023

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सिविल) (भवन)
लोक निर्माण विभाग दमोह

एन.आई.टी. नं. -15/2023/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/जी/एपीडी/जबलपुर, दिनांक : 19.06.2023

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	कार्यालय का नाम जहां ईएमडी एवं तकनीकी बिड भौतिक रूप से प्राप्त की जावेगी।	90 प्रतिशत अविवादित भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. दमोह जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)							
2023_PWPIU_283343	दमोह	24093/-	5000000/-	500000/-	24 माह	-	-
क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. पीडब्ल्यूडी (भवन) दमोह के अंतर्गत जोनल बाहरी विद्युतीकरण कार्य जिला दमोह (द्वितीय आमंत्रण)							
2023_PWPIU_286375	दमोह	75.00	75000/-	10000/-	24 माह	-	-

1. निविदा से संबंधित बिड डाक्यूमेंट वेबसाइट **http://mpeproc.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 23.06.2023 समय 09.00 से **दिनांक 04.07.2023** समय 06.00 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (सिविल) (भवन)
लोक निर्माण विभाग, दमोह

जी-15560/48704/2023

(पिछले पृष्ठ का शेष)

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में):-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी–15863/48714/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
18/2023/27.06.2023	03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	13.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन-पत्र दिनांक 04.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (HighSchool) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक** ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. **शैक्षणिक अर्हता - अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
   1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
   2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा एम.पी.एच.।
   3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (स्वस्थवृत्त) अथवा BAMS एवं MPH

2. **रोज़गार पंजीयन -**
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) **मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत** - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

रिक्त पदों का विवरण तथा अर्हताएं

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta)	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
मुख्य भाग (87%)		0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रावधिक भाग (13%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो पद का विवरण

01			
	पद का नाम	:	**व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta)**
	विभाग का नाम	:	**आयुष विभाग**
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन शैक्षणिक अर्हता :

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा एम.पी.एच.।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (स्वस्थवृत्त) अथवा BAMS एवं MPH

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाऐं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: (क) आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो.

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात आयु संगणना तिथि : 01.01.2024

आठ अधिवार्षिकी आयु : 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु.जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू. एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -II**
(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट -III**
(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट -II

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट -।।।

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण-पत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते है तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे है या होने वाले हो, ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्रमांक	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश की चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षो हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीद्वारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं **अर्थात उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2- **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3- **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 03.09.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद** आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें:
दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4- **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु** व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta) क्रमांक 18/2023 दिनांक 27.06.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ----------------- पुत्र/पुत्री श्री ------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/------------- जिला ------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं -------------- -जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर ------------------------

नाम ----------------------------

रोल नंबर ----------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6- **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र, ग्वालियर

ई-मेल : sepheprocgwl@gmail.com, दूरभाष क्रमांक : 0751-2365438, 4031502
(पानी की टंकी के नीचे, मुरार, ग्वालियर)

क्रमांक 2195 नि.प्र./मु.अ./लो.स्वा.यां./23-24 **ग्वालियर, दिनांक : 16.06.2023**

ऑनलाइन वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर टीकमगढ़ जिले के विकास खण्ड पलेरा के 68, विकास खण्ड जतारा के 07 एवं विकास खण्ड बल्देवगढ़ के 21 ग्रामों में नल जल प्रदाय योजनाओं अंतर्गत विभिन्न क्षमताओं की आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी, आर.सी.सी. सम्पवेल कम पंप हाउस, पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन सहित अन्य विभिन्न सहायक कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की गई है। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। विवरण निम्नानुसार है :–

स. क्र.	नि.आ.सू. क्र./दि.	टेण्डर आई.डी. विकास खण्ड	अनुमानित लागत (PAC) (रु. लाख में)	धरोहर राशि (EMD) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	आमंत्रण की संख्या	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	106/ 15.06.23	2023_PHED_ 284303_1 Block - Palera	503.84	5,03,840	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
2.	107/ 15.06.23	2023_PHED_ 284307_1 Block - Palera	723.69	7,23,690	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
3.	108/ 15.06.23	2023_PHED_ 284309_1 Block - Palera	541.96	5,41,960	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
4.	109/ 15.06.23	2023_PHED_ 284312_1 Block - Jatara	801.49	8,01,490	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
5.	110/ 15.06.23	2023_PHED_ 284318_1 Block - Palera	522.97	5,22,970	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
6.	111/ 15.06.23	2023_PHED_ 284323_1 Block - Baldeogarh	567.09	5,67,090	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
7.	112/ 15.06.23	2023_PHED_ 284324_1 Block - Baldeogarh	801.33	8,01,330	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
8.	113/ 15.06.23	2023_PHED_ 284327_1 Block - Palera	507.61	5,07,610	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
9.	114/ 15.06.23	2023_PHED_ 284328_1 Block - Palera	756.88	7,56,880	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
10.	115/ 15.06.23	2023_PHED_ 284331_1 Block - Palera	556.97	5,56,970	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
11.	116/ 15.06.23	2023_PHED_ 284334_1 Block - Palera	762.64	7,62,640	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
12.	117/ 15.06.23	2023_PHED_ 284335_1 Block - Baldeogarh	507.47	5,07,470	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
13.	118/ 15.06.23	2023_PHED_ 284337_1 Block - Palera	520.58	5,20,580	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
14.	119/ 15.06.23	2023_PHED_ 284338_1 Block - Palera	533.76	5,53,760	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर
15.	120/ 15.06.23	2023_PHED_ 284340_1 Block - Palera	578.71	5,78,410	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल छोड़कर

निविदा प्रपत्र क्रय	-	दिनांक 21.06.2023 से दिनांक 05.07.2023 सायं 5.30 बजे तक
ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करना	-	दिनांक 21.06.2023 से **दिनांक 05.07.2023** सायं 5.30 बजे तक
प्री-बिड मीटिंग	-	दिनांक 30.06.2023, समय-दोपहर 12.00, स्थान - ग्वालियर
बिड ओपनिंग	-	दिनांक 07.07.2023, समय-दोपहर 1.00 बजे

अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट)
कार्यालय मुख्य अभियंता
जी-15554/48703/2023 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र, ग्वालियर**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विश्व में सरताज बनाया - मुख्यमंत्री

श्योपुर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड मुख्यालय पर वृहद लाड़ली बहना सम्मेलन में कहा है कि, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 9 साल के स्वर्णिम कार्यकाल में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की। श्री मोदी के नेतृत्व में आज देश विश्व में सरताज बना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हमारी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। योजना से उन्हें आत्मनिर्भरता मिली है। अब उन्हें मायके के जाने के लिए पति की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। बहनें अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी। इस योजना में लाड़ली बहनों को दी जाने वाली राशि चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए तीन हजार रुपये तक की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हम बहनों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहनों की आमदनी 10 हजार रुपये महीना तक की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार वार्षिक 6 हजार रुपये और राज्य सरकार 4 हजार रुपये दे रही है। राज्य सरकार की राशि को बढ़ाकर अब 6 हजार रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार अब एक साल में 12 हजार रुपये की राशि किसानों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 12वीं में 70 प्रतिशत अंक वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं और 12वीं में टॉपर छात्र-छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि, 4 जुलाई को मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लॉन्च की जा रही है, जिसमें विभिन्न कंपनियों, फैक्ट्री में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को 8 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।

श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के बाद प्रदेश में स्त्री-पुरुष लिंगानुपात में कमी आई है। योजना में शासन की ओर से बेटियों को पढ़ने के लिए पूरी फीस के साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। श्योपुर जिले में चीता प्रोजेक्ट, मूंझरी बांध, मेडिकल कॉलेज की स्थापना और चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना आदि विकास कार्य लगातार जारी हैं। विजयपुर क्षेत्र के किसानों की मांग पर आज 539 करोड़ रुपये की वृहद सिंचाई परियोजना चेंटीखेड़ा बांध का भूमि-पूजन किया गया है। इससे 15 हजार 300 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी तथा 25 हजार की आबादी को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हो या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक क्षति पहुंचाई हों; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में):-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल "**रोज़गार और निर्माण**" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9- **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-15868/48716/2023

किसानों की उन्नति के लिए प्रयासरत सरकार

पीएम किसान मोबाइल एप से अब घर बैठे आसानी से कर सकते हैं ई-केवाईसी

24 फरवरी, 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान सम्मान निधि) योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000/- रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। यह योजना शुरू में ऐसे छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन एक जून 2019 से योजना का दायरा सभी भूमि धारक किसानों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया था।

केंद्र सरकार, किसानों के बड़े फायदे के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से लैस PM-किसान मोबाइल एप लेकर आई है, जिसे हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। इस एप की लॉन्चिंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी और किसानों को आर्थिक सहायता के लिए लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत की गई है।

इस एप की खूबियां

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भारत सरकार की बहुत ही व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों ने काफी परिश्रमपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इसी का परिणाम है कि लगभग साढ़े 8 करोड़ किसानों को केवाईसी के बाद हम योजना की किस्त देने की स्थिति में आ गए हैं। यह प्लेटफॉर्म जितना परिमार्जित होगा, वह पीएम-किसान के काम तो आएगा ही, और किसानों को कभी भी-कोई लाभ देना हो, तब भी केंद्र और राज्य सरकारों के पास पूरा डेटा उपलब्ध होगा, जिससे कोई परेशानी खड़ी नहीं हो सकेगी।

इस योजना की शुरुआत के बाद से, तकनीकी और प्रक्रिया प्रगति के कई सेट इस योजना में शामिल किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी प्रभावी तरीके से इसका फायदा ले सकें। इसी क्रम में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से लैस पीएम किसान मोबाइल एप लॉन्च किया गया है।

आधुनिक टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण बने इस एप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूरदराज, घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैन कर ई-केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता है। भारत सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए, किसानों का ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिससे हर एक अधिकारी 500 किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है।

पीएम किसान एप में मिलेंगी ये सुविधाएं

इस टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र को लाभ हो रहा है और इस एप की नई सुविधा से भी किसानों को काफी सहूलियत होगी। उल्लेखनीय है कि पीएम-किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है, जिसमें किसानों को आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में 06 हजार रुपये सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। 2.42 लाख करोड़ रुपये, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में शिफ्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 03 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। पहली बार देखा गया है कि 8.1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में केवल आधार इनेबल्ड पेमेंट के जरिए सफलतापूर्वक किया गया, जो अपने-आप में एक कीर्तिमान है।

एप को कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल एप उपयोग में बहुत सरल है, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। एप किसानों को योजना और पीएम किसान खातों से संबंधित बहुत-सी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा। इसमें नो योर स्टेटस मॉड्यूल उपयोग कर किसान लैंड सीडिंग, आधार को बैंक खातों से जोड़ने और ई-केवाईसी का स्टेटस जान सकते हैं। कृषि विभाग ने लाभार्थियों के लिए उनके दरवाजे पर आधार से जुड़े बैंक खाते खोलने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया है और सीएससी को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से ग्राम-स्तरीय ई-केवाईसी शिविर आयोजित करने को कहा है।

अन्नदाताओं के लिए वरदान है 'सम्मान निधि', प्रदेश के किसानों को अब 12 हजार रुपये की सहायता

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किसानों को 4 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती थी और इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शामिल होने पर यह राशि 10 हजार रुपये हो जाती थी, लेकिन अब प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की तरह ही हर साल 6 हजार रुपये दिए जाएंगे जिससे अन्नदाताओं को हर वर्ष कुल 12 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। यह राशि किसानों के लिए आर्थिक संबल का कार्य कर रही है।

केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसान कैसे समृद्धशाली हो, देश कैसे आगे बढ़े, गांव-गरीब-किसान की हालत कैसे सुधरे, इसलिए अब कृषि मंत्रालय का बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसका फायदा देशभर के किसानों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के फंड दिए गए हैं। हर जगह गैप्स भरने के लिए तथा किसान मुनाफे की खेती करें, इसके लिए पर्याप्त निवेश की व्यवस्था की है। इस बार के बजट में भी एग्री स्टार्टअप को मदद देने के साथ ही, प्राकृतिक खेती, मिलेट्स और बागवानी फसलों को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के जरिये विकास, प्लांटेशन को बढ़ाने, हर विषय के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं, जिससे भारतवर्ष की खेती को काफी फायदा मिल रहा है और मिलेगा।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा किसानों के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6 हजार रुपये सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है।
- भारत में 80-85 प्रतिशत छोटे किसान हैं, ये छोटे किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में लगभग 2.42 लाख करोड़ रुपये शिफ्ट किए जा चुके हैं जिनमें 3 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। कोविड के समय लॉकडाउन के दौरान भी किसानों के लिए पीएम किसान योजना एक मजबूत साथी साबित हुई थी।
- पहली बार देखा गया है कि 8.1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में केवल आधार इनेबल्ड पेमेंट के जरिये सफलतापूर्वक किया गया, जो अपने-आप में एक कीर्तिमान है।
- मध्यप्रदेश में किसानों के सशक्तिकरण के लिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना संचालित की जा रही है। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर अब किसानों को हर वर्ष 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- विश्व में सर्वाधिक कृषि उपज के उत्पादन के मामले में भारत पहले या दूसरे स्थान पर रहता है। भारत द्वारा 3.75 लाख करोड़ मूल्य की कृषि उपज का रिकॉर्ड निर्यात किया गया है।

- रश्मि रंजन

(लेखिका, समसामयिक विषयों पर लेखन करती हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान-खेल

1. भवानी देवी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं?
(अ) कुश्ती
(ब) तलवारबाजी
(स) तीरंदाजी
(द) इनमें से कोई नहीं

2. आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है?
(अ) विराट कोहली
(ब) क्रिस गेल
(स) शुभमन गिल
(द) रोहित शर्मा

3. किस देश के नाम टी-20 क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है?
(अ) भारत (ब) द. अफ्रीका
(स) वेस्टइंडीज (द) ऑस्ट्रेलिया

4. फीफा ने वर्ष 2022 के लिए किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है?
(अ) डेविड डि गिया
(ब) थिबाउट कोर्टोइस
(स) एमिलियानो मार्टिनेज
(द) एलिसन बेकर

5. वर्ष 2020 में किस देश ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्डकप जीता है?
(अ) भारत (ब) ऑस्ट्रेलिया
(स) वेस्टइंडीज (द) बांग्लादेश

6. इनमें से किस क्लब ने सबसे ज्यादा बार फीफा क्लब वर्ल्डकप जीता है?
(अ) रियल मैड्रिड
(ब) बार्सिलोना
(स) मैनचेस्टर सिटी
(द) इंटर मिलान

7. इस वर्ष इंडियन मास्टर्स टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैम्पियन बने हैं?
(अ) कैमरन नॉरी
(ब) टेलर फ्रिट्ज
(स) डेनिल मेदवेदेव
(द) कार्लोस अलकराज

8. आईपीएल 2023 में किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं?
(अ) मोहम्मद शमी
(ब) मोहित शर्मा
(स) युजवेंद्र चहल
(द) रवि बिश्नोई

9. फ्रेंच ओपन-2023 की उपविजेता कैरोलिना मुचोवा किस देश की खिलाड़ी हैं?
(अ) पोलैंड
(ब) चेक रिपब्लिक
(स) सर्बिया
(द) बेलारूस

10. टेबल टेनिस को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में जगह मिली थी?
(अ) वर्ष 1964 (ब) वर्ष 1980
(स) वर्ष 1988 (द) वर्ष 1996

11. हाल हीं में फुटबॉल से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी ज्लाटन इब्राहिमोविक किस देश के लिए खेलते हैं?
(अ) बेल्जियम (ब) स्वीडन
(स) जर्मनी (द) क्रोएशिया

12. इनमें से कौन कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नहीं रहा है?
(अ) रवि शास्त्री
(ब) अनिल कुंबले
(स) सौरव गांगुली
(द) राहुल द्रविड

13. इस वर्ष संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता है?
(अ) मेघालय (ब) कर्नाटक
(स) केरल (द) पंजाब

14. लियोनल स्कालोनी किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं?
(अ) अर्जेंटीना (ब) बेल्जियम
(स) इटली (द) इंग्लैंड

15. बीसीसीआई ने वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है?
(अ) 20 (ब) 22
(स) 24 (द) 26

16. इस वर्ष फॉर्मूला-वन चैम्पियनशिप की पहली रेस किस देश में आयोजित की गई?
(अ) सऊदी अरब
(ब) अजरबेजान
(स) बहरीन
(द) मोनाको

17. आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है?
(अ) अमेरिका (ब) डेनमार्क
(स) नॉर्वे (द) कनाडा

18. भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा काउंटी क्रिकेट में किस क्लब के लिए खेल रहे हैं?
(अ) समरसेट (ब) केंट
(स) ससेक्स (द) हैम्पशायर

19. वर्ष 2022 में किस देश ने एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है?
(अ) रूस (ब) स्पेन
(स) ब्रिटेन (द) कनाडा

20. हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप का आयोजन किस देश में किया जाता है?
(अ) भारत (ब) ब्रिटेन
(स) बेल्जियम (द) न्यूजीलैंड

21. इस वर्ष मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल चैम्पियन बने हैं?
(अ) ली जी जिया
(ब) विक्टर एक्सेलसन
(स) केंटो मोमोटा
(द) इनमें से कोई नहीं

22. एफआईएच वूमेन नेशंस कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है?
(अ) भारत (ब) स्पेन
(स) जापान (द) अर्जेंटीना

23. एर्लिंग हॉलेंड किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं?
(अ) इंग्लैंड (ब) नॉर्वे
(स) इटली (द) पुर्तगाल

24. इनमें से किस देश के खिलाफ अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला है?
(अ) बांग्लादेश (ब) पाकिस्तान
(स) भारत (द) न्यूजीलैंड

25. वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्डकप में कितनी टीमें खेलेंगी?
(अ) 32 (ब) 36
(स) 40 (द) 48

उत्तर

1. (ब), 2. (अ), 3. (ब), 4. (स), 5. (द), 6. (अ), 7. (द), 8. (अ), 9. (ब), 10. (स), 11. (ब), 12. (स), 13. (ब), 14. (अ), 15. (द), 16. (स), 17. (द), 18. (स), 19. (द), 20. (अ), 21. (ब), 22. (अ), 23. (ब), 24. (स), 25. (द)।

- पुष्पेंद्र कुमार सविता

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

सामयिकी

प्रधानमंत्री का अमेरिका और मिस्र दौरा

भारत और अमेरिका के बीच की मित्रता वैश्विक भलाई के लिए जरूरी

प्रधानमंत्री श्री मोदी को 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' सम्मान

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' सम्मान

से सम्मानित किया जो मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान पुरस्कार है। यह 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनियाभर के विभिन्न देशों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्रदान किया है। इस पुरस्कार को स्वीकार कर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'मैं बड़ी विनम्रता के साथ 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' स्वीकार करता हूं। मैं इस सम्मान के लिए मिस्र की सरकार और लोगों को धन्यवाद देता हूं। यह भारत और हमारे देश के लोगों के प्रति उनकी गर्मजोशी और स्नेह को दर्शाता है।'

दक्षिण कोरिया ने रूसी नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध

दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को कथित तौर पर अवैध वित्तपोषण को लेकर कोरियाई मूल के एक रूसी नागरिक सहित दो लोगों और दो संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। योनहाप न्यूज एजेंसी ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक पूर्व दक्षिण कोरियाई नागरिक चोई चोन गोन, जिसके पास रूस की नागरिकता है, को मंगोलिया में हने उलान एलसीसी नामक कंपनी को वित्त पोषित करने के कारण प्रतिबंधित किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी अमेरिका की यात्रा को लेकर कहा है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक भलाई के लिए जरूरी है। इससे हमारा ग्रह बेहतर और मजबूत होगा। श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्वीट को रिट्वीट कर यह बात कही। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान श्री मोदी ने दोनों देशों के साथ कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 जून को अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए थे और न्यूयॉर्क में उन्होंने 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इसके बाद वाशिंगटन डीसी में, राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी का व्हाइट हाउस में रेड कार्पेट पर स्वागत किया गया। इस बीच दोनों नेताओं ने एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया और उनके सम्मान में राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस में एक राजकीय रात्रिभोज का आयोजन किया गया।

इस यात्रा में रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख सौदे हुए। वहीं F-414 फाइटर जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और जनरल इलेक्ट्रिक (GE) के बीच हुआ समझौता पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा समाप्त कर 24 जून को काहिरा पहुंचे थे, जहां हवाई अड्डे पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबौली ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान, श्री मोदी ने काहिरा में द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी

से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों सहित दोनों देशों के बीच साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि, पुरातत्व और पुरावशेष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को विशेष उपहार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात हुई। इस दौरान श्री मोदी ने बाइडेन दंपति को विशेष उपहार दिए। श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को एक हस्तनिर्मित चंदन बॉक्स उपहार में दिया। यह बॉक्स जयपुर, राजस्थान के एक मास्टर शिल्पकार द्वारा मैसूर, कर्नाटक से प्राप्त चंदन का उपयोग करके बनाया गया है। श्री मोदी ने बाइडेन को जो चार डिब्बे सौंपे, उनमें एक डिब्बे में पंजाब का घी था। दूसरे में झारखंड से प्राप्त हाथ से बुना हुआ बनावट वाला टसर रेशम का कपड़ा। तीसरे में उत्तराखंड से प्राप्त लंबे दाने वाला चावल और चौथे बॉक्स में गुड़ था, जो महाराष्ट्र से मंगाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाइडेन दंपति को दस दानराशि वाला एक डिब्बा भी दिया। गौदान (गाय का दान) के लिए गाय के स्थान पर पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा एक नाजुक हस्तनिर्मित चांदी का नारियल दिया गया। भूदान (भूमि का दान) के लिए भूमि के स्थान पर मैसूर, कर्नाटक से प्राप्त चंदन का एक सुगंधित टुकड़ा दिया गया। तिलदान (तिल के बीज का दान) के लिए तमिलनाडु से लाए गए तिल या सफेद तिल के बीज चढ़ाए गए। राजस्थान में हस्तनिर्मित, सोने का सिक्का हिरण्यदान (सोने का दान) के रूप में पेश किया। इस डिब्बे में एक चांदी का सिक्का भी था, जिसे राजस्थान के कारीगरों ने सौंदर्यपूर्ण ढंग से तैयार किया है। इसे रौप्यदान (चांदी का दान) के रूप में पेश किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बाइडेन दंपति को नमक के दान के रूप में गुजरात का नमक भेंट किया है। चंदन के एक डिब्बे में गणेश की मूर्ति दी, जो कोलकाता की पांचवीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के एक परिवार द्वारा हस्तनिर्मित है। दिए गए उपहारों में एक चांदी का दीपक भी है, जिसे कोलकाता में पांचवीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के परिवार ने हाथों से बनाया है। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का हरा हीरा भी भेंट किया, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ धरती से खोदे गए हीरों के रासायनिक और ऑप्टिकल गुणों को दर्शाता है। हीरे को पपीयर मेशी बॉक्स में रखा गया है, जो कश्मीर के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन को द टेन प्रिंसिपल उपनिषद पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का पहला संस्करण प्रिंट उपहार में दिया। यह पुस्तक बाइडेन के पसंदीदा आयरिश कवि विलियम बटलर येट्स और पुरोहित स्वामी द्वारा सह-लिखित है, जो भारतीय आध्यात्मिकता के लिए साझा प्रशंसा और भारतीय कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।

कई दिग्गजों के साथ हुई मुलाकात

अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित अमेरिकी शिक्षाविदों के एक समूह से भी मुलाकात की थी। ये शिक्षाविद कृषि, विपणन, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं। उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क, भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका, संगीतकार और ग्रैमी पुरस्कार विजेता फाल्गुनी शाह, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की निदेशक चंद्रिका टंडन, प्रोफेसर पॉल रोमर, कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर रतन लाल, चर्चित गणितज्ञ सांख्यिकीविद प्रो. नासिम निकोलस तालेब, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, एपल के सीईओ टिम कुक समेत कई दिग्गजों से मुलाकात की।

भारत और फिलीपींस

रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में बढ़ाएंगे सहयोग

भारत और फिलीपींस ने रक्षा ,समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग का दायरा बढ़ाने पर बल दिया है।

- **बढ़ते आर्थिक संबंधों, व्यापार, निवेश, तथा स्वास्थ्य, फार्मा, पर्यटन, हवाई सेवाओं, कृषि और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई।**
- **अगले साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं।**

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यात्रा पर आए फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर भारत-फिलीपींस संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा,

आतंकवाद रोधी अभियान और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि फिलीपींस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक में सार्थक तथा व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मद्देनजर संपर्क तथा सहयोग का दायरा बढ़ाने पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि बैठक के एजेंडे में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान और देशों के बीच आपराधिक गतिविधियों पर चर्चा करना शामिल था। दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की चौथी बैठक फिलीपींस में वर्ष 2020 में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई थी।

ऑस्ट्रेलिया ने

बजट में सुधार लाने के लिए उपग्रह कार्यक्रम किया रद्द

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कथित रूप से बजट में सुधार लाने के लिए गुरुवार को 'नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन' कार्यक्रम रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में 2022 को हुए आम चुनाव से पहले, पूर्ववर्ती सरकार ने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी, इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के चार उपग्रहों को डिजाइन, निर्माण एवं प्रक्षेपण के लिए वित्त पोषित करना था। ये उपग्रह ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक पृथ्वी अवलोकन डेटा से जोड़ते और जंगल की आग एवं बाढ़ की प्रतिक्रियाओं में सहायता प्रदान करते, हालांकि सरकार इसके बदले जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों की मदद लेना जारी रखेगी। ऑस्ट्रेलिया के उद्योग एवं विज्ञान मंत्री एड हुसिक ने कहा कि सरकार अभी भी अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी भूमिका को महत्व देती है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने श्री हुसिक के हवाले से कहा

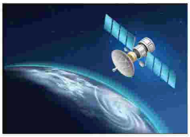

कि यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया ने हालिया बजट में अपने अंतरिक्ष एजेंसी को एक स्थायी वित्तीय आधार पर रखा है। देश की लेबर पार्टी की सरकार ने कहा है कि 'बजट के सुधार' के लिए इस कार्यक्रम को बंद किया जा रहा है। इस साल मई में जब ऑस्ट्रेलिया का बजट पारित किया गया तो सरकार ने कहा था कि बजट को संतुलित किया जाएगा। देश की आर्थिक विकास दर कम हो रही है और रक्षा मद में खर्च लगातार बढ़ रहा है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- मनीष सिंह, मुद्रक- मनीष सिंह द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- राजीव तिवारी।